हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 सिम्तबर, 2002

खण्ड–2 अंक–4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 4 फरवरी, 2002

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(4)1

अतारांकित प्र नों एवं उत्तर	(4)26
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(4)26
ध्यानकर्शण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों के नोटिसों के सम्बन्ध में सूचना	(4)27
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(4)28
विभिन्न मामले उठाना	(4)28
हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 2002	(4)31
वाक आउट	(4)53
हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 2002 (पुनरारम्भ)	(4)54
दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी सराइन (अमेंटमैंट) बिल, 2002	(4)56

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 4 सितम्बर, 2002

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबरी सिह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होगें

Police Training Centre

1089. Sh. Rambir Singh: Will the Chief Minister be pleased to stat whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Police Training Centre at Bhondsi, District Gurgaon, if so, the thereof.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): जी हां, भौंडसी जिला गुडगांव में पुलिस प्रि ाक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचारधन है।

यह प्रि ाक्षण केन्द्र ''चौधरी देवी लाल पुलिस प्रि ाक्षण एवं रिसर्च केन्द्र'' के नाम से जाना जायेगा। इसके अन्तर्ग रैक्रूट प्रि ाक्षण केन्द्र और भारतीय रिजर्व वाहिनी मुख्यालय होगा।

श्री रामबरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके से सी0 पी0 एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि ये जो प्रि ाक्षण केन्द्र, भौंडसी जिला गुडगांव में खोला जा रहा है। इसके लिए कितनी जमीन अधिग्रहण की गई है, कितना खर्च किया है और कब तक कंप्लीट कर दिया जाएगा?

श्री रामपाल माजराः स्पीकर सर, इसके भवन के निर्माण पर लगभग 42 करोड़ रूपया खर्च किया जाएगा, इसके अलावा स्टाफ, गाड़ियों फर्नीचरआदि पर 49 करोड़ रूप्ये के खर्च की योजना है,इस सैंटर में भविश्य में महिला प्रि ाक्षण केन्द्र, नैवेदिक विज्ञान प्रयोग ाला भ भाामिल करने की योजना है। इसको आहिस्ता–आहिस्ता एक अच्छा ट्रेनिग सैंटर बनाने की योजना है। क्योंकि अब तक हमारेयहां सिर्फ मधुबन में एक ट्रेनिग सैंटर है उससे पहले पंजाब में ट्रेनिंग करते थे। इस सैंअर को मॉडर्न बनाने का हमारा विचार है। ज्यों–ज्यों आगे इस प्रि ाक्षण के जिए जरूरत होती जाएगी इसमें नयी टैक्नोलॉजी डिवैल्प की जाएगी।

आई0 जी0 (रिटायर्ड) भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सी0 पी0 एस0 महोदय से जानना चाहूंगा अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए जो हाइट पांच फुट सात इंच की है।

श्री अध्यक्षः यह सप्लीमैंट्री इस सवाल से रिलेटिड नही है आप ट्रेनिग के बारे में पूछना चाहे है तो पूछे। मैने तो आपको

इसलिए अवसर दिया था कि आप पुलिस मे ंरहे है इसलिए कोई अच्छा सवाल पूछेगे।

आई0 जी0 (रिटायर्ड) भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इससे बेरोजगार वचित रहता है। * * * *

श्री अध्यक्षः भोर सिंह जी कोई बात रिकार्ड न करें। आप बैठ जाए।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, इनके राज में छाती बढ़ जाी थी, कद बढ़ जाते थे इन्होने अपने समय में 1600 सिपाही भती किए थे वे सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दियेथे क्योंकि उस समय पैसे लेकर के भर्ती की थी। (ाोर एवं व्यवधान) इसलिए संप्रीम कोर्ट ने उस भती को रद्द कर दिया। सपीकररसर, हरियाणा प्रदे ा का डेकोराम ऊंचा दिखे इसलिए हमने वह कद बढ़ाया है ये तो बी0 एस0 एफ0 में आई0 जी0 रहे है इन्हें तो इस फसले की दाद देनी चाहिए थी।

श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिह): अध्यक्ष महोदय, भोर सिंह जी ने जो बात कही है वैसे तो इनका पुलिस को बहुत ऐक्सपीरियस है ये बहुत सीनियम ऑफीसर रहे है इनको तो इस

बात को एप्रीि ाएट करना चाहिए था आज के दिन मैन पावर के सथ इंटैलीजैंस और फिजिक दानों चीजों की जरूरत है। फिजीक के हिसाब से पांच फुट सात इंच ज्यादा नही है। अगर छः इंच या पांच इंच करते तो एतराज होना चाहिये था क बौने भर्ती किये गये थे वे नौजवानआज अलग ही नजर आते है और पांच फुट छः इंच के नौज्वान पीछे भी इण्डियन रिजर्व पलिस में भर्ती किये गये हैं पिछली बार जब भर्ती के लिए आवेदन मांगे गय थे तो फिजीकली फिट नौजवार जरूरत से करीब सात आठ गुणा ज्यादा अवेलेबल हो गये थे ओरउनको फिजीकली फिट के आधार पर भर्ती किया गया था। आज क्वालिफिके ान की जरूरत है ंपुराने जमाने की तरह आज लठ का जमाना नही है। आज इंटैलीजैंस की की ज्यादा जरूरत है। उसके लिए जैसा कि बताया गया कि मैट्रिक से दस जमा दो क्वालिफिके ान की गई है। उससे ज्यादा इंटैलीजैंसी आयेगी और उससे लॉ एण्ड आर्डर ठीक रहेगा। इन सारीचीजों को ध्यान में रखते हुए यह सब किया गया हैं आई0 जी0 सहाब को तो इसके लिए सरकार एको एप्रि ायेट करना चाहिए था।

श्री नफे सिंह राठीः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह बहुत बढ़िया कदम उठाया है जो जिला गुडगांव मे ंचौधरी देवी लाल जी के नाम से पुलिस प्र ि ाक्षण केन्द्र खोला है। मै सी0 पी0 एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि जो पुलिस प्र ि ाक्षण केन्द्र खोला

जा रहा है। उसमें एक बार में कितनी सिपाही प्र ाक्षण प्राप्त कर सकेगे?

श्री रामपाल माजराः स्पीकर सर, इसके लिए कोई लिमिट नही है इसके लिए निर्धारित संख्या नही रखी गई हैं इस प्र ाक्षण केन्द्र में दो हजार,पांच हजार और सात हजार प्र ाक्षणार्थी एक साथ ट्रेनिग ले कसते है। इस प्र ाक्षण केन्द्र की इतनी कैपेसिटी है।

श्री राम कि ान फौजीः अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस भर्ती के नियमों मों बदलाव किया है। उससे जो ि ाडयूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के ज्यादातर बच्चे दसवी या आठवी पास होते है।

प्रो0 सम्पत सिहः स्पीकर सर, जहां तक हरिजन और बैकवर्ड क्लास के बच्चों का सवाल है। उनको एजूके ान क्वालीफिके ान में और हाईट में रिलैक्से ान दिया गया है।

आई0 जी0 (रिटायर्ड) भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, *********

श्री अध्यक्षः जो भोर सिंह जी बोल रहे है वह रिकार्ड न किया जाए

आई0 जी0 (रिटायर्ड) भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय,*********

श्री अध्यक्षः जो भोर सिंह जी बोल रहे है वह रिकार्ड न किया जाए। आपको तो कम से कम इसबारे मे ंनही बोलना चाहिए, आप तो डिसीप्लीन्ड फोर्स में रहे है।

प्रो0 सम्पत सिहः स्पीकर सर, जो आलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्ज है, उनके मुताबिक इरिजन और बैकवर्ड क्लास के बच्चों को एजूके ान क्वालीफकि ान में ओरहाई में रिलैक्से ान दिया गया है। जो पीछे पुलिस की भती की गई, उसमें भी इन क्लासिज के बच्चों को एजुके ानलज क्वालीफिके ान में ओरहाईट में रिलैक्से ान दिया गया हैं

श्री राम कि ान फौजीः अध्यक्ष महोदय, ये जो पुलिस में भीती करने के लिए सरकार ने नियम बदलते है। इनसे आरक्षण खत्म करने की ****** रची है।

प्रो0 सम्पत सिहः अध्यक्ष महोदय, 100 प्रति ात आरक्षित कोटा पूरा किया हैं

श्री राम कि ान फौजीः अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्षः राम कि ान फौजी ने जो अनपालियामे।न्टरी भाब्द बोला है उसे रिकार्ड न करें।

श्री राम कुमार खटकः अध्यक्ष महोदय ि ाडयुल्ड कास्ट औश्रबैकवर्ड क्लास को जितना सम्मान माननीय चौटाला साहब के

राज में मिला है। उतना चौधरी भजन लाल जी ओर चौधरी बंसी लाल जी की सरकारों मं नही मिला।

श्री राम कि ान फौजीः अध्यक्ष महोदय, **********

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सभी माननीय साथियों से अनुरोध कुरूंगा कि प्र नकाल कासमय बहुत कीमती होता है। इसका सदुपयोग करें। मै आपके माध्यम से सी0 पी0 एस0 महोदय से जाननाचाहूंगा कि चौधरी देवी लाल पुलिस प्र ि ाक्षण केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा और इसक पहला बैच कितनी प्र ि ाक्षणार्थियों का होगा?

श्री राम पाल माजराः अध्यक्षमहोदय, मै आपके माध्यम से माननीया साथी को बताना चाहूंगा कि यह केन्द्र चालू हो गया है इसमे ंपहल बैच पास ऑन हो गया है जहां तक मेरे कई माननीय साथियों ने कहा है, भोर सिंह जी भी कह रहे थे कि आरक्षण को खत्म कर रहे है तो मै इनको बताना चाहूंगा कि ऐसा नही हैं इसमें आरक्षण को सुरक्षित रखा गया है। और जो भी फोरमैलिटीज पहले थी, उनको एज इट दज रखा गया है। (ाोर एवं व्यवधान) पूरे कदकाठ वाले जवान भर्ती किए जाएंगे।

श्री राम कि ान फौजीः अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्षः राम कि ान फौजी की बात कोई बात रिकार्ड की जाए।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, ये घर में छाती मिढ करआ गऐ और लेागों को बहका कर आए है। हरियाणासरकार ने जो भर्ती की है मैरिट के आधार पर की है, पैरामीटर्ज के आधार पर की है ओर फिजीकल फिटनैस के आधार पर की है, जिस प्रकार से इनके वक्त में नौकरियों बिकती थी, ऐसा इस सरकार में नही होगा। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री भागी रामः यह प्र ि ाक्षण केन्द्र चौधरी देवी लाल के नाम से बनाहै इसलिए मै कहना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल को जब–जब भी मुख्यमंत्री बनने कामौका मिला उन्होने हरिजन के लिए बहुत से काम किए। पिछली सरकारों ने पुलिस की भर्ती में बेकायदी बरत कर उनका जो कोटा था, वह पूरा किया इसलिए अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो बैकलॉग है, क्या उस बैकलॉग कोपूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे?

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा जो गढ्ढे खोदे गए है, हम इनके खोदे हुए किस–किस गढ्ढे को भरेगे क्योंक भरने वालों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? वैसे मै माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बैकलॉग के मामले में कोर्ट के आदे ा है इसलिए बैकलॉग को भरा जाएगा। जहां तक भागी राम जी ने भांका जाहिर की है कि इनके टाईम में बैकलॉग रहा है, तो मै इनको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदे ा के अनुसार बैकलॉग को पूरा किया जाएगा। (ाोर एवं व्यवधान)

Releasing to Tube-wells Connections

1133. Sh. Dev Raj Dewan: Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise number of electricity connections to tuewells released in the State during the period from April, 2002 to-date?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): राज्य में अप्रैल, 2002 से 15 अगस्त, 2002 के दौरान 1758 बिजली कनैक ान नलकूपों को दिये गए थे।

जारी किए गए नलकूप कनैक ानों को जिलावार एक विवरा सदन केपटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

अप्रैल 2002 से 15.08.2002 तक नलकूपों को जारी किए गए बिजली कनैक ानों की जिलावार संख्या निम्न प्रकार से है:–

क्रं0 सं०	जिले का नाम	अप्रैल, 2002 से 15.08.2002 तक दिए गए नलकूप कनैक ानां की संख्या
1	2	3

1.	अम्बाला	95
2.	पंचकूला	12
3.	यमुनानगर	95
4.	कुरूक्षेत्र	112
5.	कैथल	136
6.	सोनीपत	92
7.	जींद	130
8.	रोहतक	3
9.	झज्जर	8
10.	करनाल	201
11.	पानीपत	45
12.	महेन्द्रगढ़	81
13.	रेवाडी	8
14.	फरीदाबाद	24
15.	गुडगांव	8

16.	हिसार	19
17.	फतेहाबाद	318
18.	भिवानी	47
19.	सिरसा	324

श्री देवराज दीवानः अध्यक्ष महोदय, मै सरकार को इसके लिए धन्यवाद करता हूं लेकिन मै मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि सरकार ने इससाल जो सोलन टयूबवैल्ज जनता के लिए दिए है, उन परकाफी सबसिडी दी गई है जिससे राज्य के लोग इसका फायदा उठा रहे है। सोनीपत का वाटर लैवल 30 फुट सेनीचे चला गया है तो क्या सोनीपत के जिन लोों ने इन टयूबैवैल्ज के लिए एप्लाई किया है, उनको ये टयूबवैल्ज देने के लिए सरकार विचार कर रही है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, सोलन के बारे में अलग से प्रश्न किया गया है इसलिए इस बारे में मै अभी कुछ भी जानकारी नही दे सकता।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सी0 पी0 एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र जो कि टयूबवैल पर आधारित कृशि क्षेत्र है वहां पर सबसे बड़ी समस्या बिजली के कनैक ंज की हैं आज के दिन सैक्ड़ों कनैक ान लम्बित पड़े है ओर आज किसान अकाल की वजह से खरीफ की

फैसल नही लो पाये। वहां कि किसान अगली फसल तभी ले पोयगा जब कनैक ान समय पर दे दिये जायेगा। वहां पर हधिकारी किसानां को अपने आफिस के चक्कर कटवाते रहते है। कहते है कि सरकार ने यह नियम बना दिया, कभी कहते है कि यह नियम चेंज कर दिया। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सी0 पी0 एस0 महोदय से प्र न है कि क्या वहां पर जिन किसानों ने 20 हजार, 40 हजार या 50 हजार रूपये कनैक न के लिए जमा करवाय रखे है उन किसानों को वरियता के आधार पर जल्दी कनैक ान दिए जायेगे ताकि किसान आने वाली फसल ले सकें?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, मै मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सरकार ने तत्काल योजनाएं केवल कनैक ान, एक पोल ओर अपने ट्रांस्फार्मर लगाने जैसी भ्रुरू की हुई है। ये योजनाएं उपभोक्ताओं को दृश्टिगत रखते हुए ही भ्रुरू की हैं ताकि उपभोक्तओं को जल्दी कनै ान दिया जा सके। इन योजनाओं के तहत जिन उपभोक्ताओं ने पैसे जमा करवा रखे है उनहोने एग्जामिन करके 5–6 महीने में कनै ान रिलीज कर दिए जायेगा।

राव दान सिंहः स्पीकर सर, मै मेरे माननीय साथी को बतानाचाहूंगा कि 5–6 महीने में तो फसल की सिंचाई का समय ही निकल जायेगा।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, हम कनैक ान अभी भी रिलीज कर रहे है लेकिन जिन्होने पैसे बाद में जमा करवाये है और जहां पर पोल लगने है उनमें कुछ समय तो लगेगा ही।

श्री राम फल कुण्डूः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सी0 पी0 एस0 महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसे मैने टयूबवैल का कनैक ान लियाओर मेरे यहां दो पाले लगे तथ्ज्ञा मेरे पड़ोसी ने भी कनैक ान लिया उके यहां मेरे से आगे तीन पोल लगे तो पड़ोसी से तीन पोल के पैसे लिए जायेंगये या पांच पोल के लिए जायेगे?

श्री राम पाल माजराः स्पीक सर, मै मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि तत्काल योजना के तहत केबल कनैक ान के लिए 10 हजार रूप्ये, एक पोल के लिए 20 हजार रूपये और प्रति पोल 7 हजार रूपये जमा कराये जाते है पैसे तभी जमा करवाये जात है जब विभागीय अधिकारी केस को पूरी तरह से एग्जामिन कर लेते है। कनैक ान देने से पहले बाकायदा टैस्ट रिपोर्ट होती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अधिकारी पूरी तरह से चैक करते है क किसका किस योजना के तहत कनैक ान बनता है और उसके बार पैसे जमा करवाये जाते है।

श्री राम फल कुण्डुः स्पीकर सर, सी0 पी0 एस0 महोदय ने मेरे सवाल का जवाब नही दिया मै यह पूछना चाहता हूं कि जैसे मैने अयूबवैल का कनैक ान लिया औश्र मेरे यहां दो पाले

लगे 20 हजार रूपये में तथा मेरे पड़ोी ने भी कनैक ान लिया उसके यहां मेरे से आगे तीन पोल लगे तो पड़ोसी से तीन पोल के पैसे लिए जायेगे या पांच पाल के पैसे लिये जायेगे?

श्री कृश्ण लाल पंवारः स्पीकर सर, मै आपके माध्ये से सी0 पी0 एस0 महोदय से पूछना चाहता हूं कि टयूबवैल के कनैक ान के लिए जिन्होने सैल्फ फाईनैसिंग स्कीम के तहत सिक्योरिटी फिट या इससे कम की दूरी के टयूबवैल्ज को ही कनैक ान दिया जायेगा। क्या सरकार सैल्फ को कनैक ान मिल सके जिनके टयूबवैल 1200 फिट से अधिक दूरी पर है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, मै मेरे माननीय साथी रामफल कुण्डु जी को बताना चाहूंगा कि उनसे तीन पोल के ही पैसे लिये जोयगे और मेरे ाथी कृश्ण लाल पंवार को बताना चाहूंगा कि 1200 फिट की दूरी को एक्सटैंड करने की सरकार की अभी कोई योजना नही है।

श्री उपाध्यक्षः स्पीकर सर, मै सी0 पी0 एस0 महोदय को बताना चाहूंगा कि सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिणी हरियाणा है। फिर आग कहेंगे कि उसका क्राईटेरिया क्या है? उसकस क्राईटेरिया खुद इसमें बता दिया है। स्पीकर सर, उस क्षेत्र का सिंचाई का साधन एक मात्र टयूबवैल है। इसलिए मै सी0 पी0 एस0 महोदय से अनुरोध करूंगा कि ये चैक करें कि जिला रेवाडी, महेन्द्रगढ़, झज्जर और गुडगांव टयूबवैल के कितने कनैक ान

रिलीज किए गये है और रोहतक का भी कुछ एरिया इसी में आता है। वहां पर कितने कनैक ान रिलीज किए गये है और बाकी जिलों में कितन कनैक ान रिलीज किए गये है? मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार ज्वायंट पंजाब के बजट सै ान के अंदर बोलते हुए चौधरएी देवी लाल ने यही मुद्दा उठाया था उस समय अकेले अमृतसर में इतने कनैक ान दिए गये जितने आज केपूरे हरियाणा को भी नही दिए। ऐसा ही कही अब दक्षिणी हरियाणा के जिलों के साथ्ज्ञ तो नही हो रहाहैं मेरी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि अगर इन जिलां की कोई सिक्योरिटी पैण्डिंग है तो ाक्या उनको प्रायरिटी देकर टयूबवैल्ज के कनैक ान ही है कनैक ान देने के मामले में जो इतना बड़ा अन्तर हो गयाहै यानि 300 और 3 का जो अन्तर है क्या इसको खत्म करने की कोर् योजना सरकार के विचारधीन है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर साहब, इ ितहार के जरिए और अन्य कार्यालयों के सामने भी प्रचारित किया गया था कि जिसने तत्काल स्कीम के तहत कनैक ान लेने है, वे दरख्वास्तें दें, जिनकी सिक्योरिटी बड़े लम्बे समय से पैण्डिंग हैं स्पीकर साहब, उसे बाद लेागों ने दरख्वास्ते दे जिनकी सिक्योरिटी बड़े लम्बे समय से पैण्डिंग हैं स्पीकर साहब, उसके बाद लेागो ंने दरखास्तें दी, पैसा जमा करवाया। उसके बाद उनकी सीनियोरिटी उसी हिसाब से नबी। जहां तक गुडगांव का सवाल है। या फरीदाबाद का सवाल है या किसी और जिले का सवाल है, यहां पर जिले की

बात को कोई मद्देनजर नही रखा जाता। इस बात को मद्देनजर ज्यारा रखा जाता है कि दरखावास्तें कितनी आई है और पैसा कितने किस वक्त जमा करवाया है। कितने पैसे जमा हुए है उसी हिसाब से सीनियोरिटी बनाई जाती है और उस सीनियोरिटी के हिसाबर से ही कनैक ान दिए जात`है। फिर भी माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने यह जो क्वै चन रैंज किया है, अगर इनके जिले में दरख्वासतें पैण्डिग होंगी तो हम उनको वरीयता के आधार पर कनैक ान देगे ताकि इनके साथ कोई डिस्पोरिटी न हो। परन्तु यहां पर दक्षिणी हरियाणा की बात करके जो बात की जा रही है वह लोग उत्तरी हरियाणा की भी बातसुन लें। वहां पर भी सारा पानी खत्म हो गया है और ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला गया है। इनकी भी पुकार सुन लें कि तुम दक्षिणी हरियाणाकरते रहे हो, पता नही कौन सी डिमार्के ान है दक्षिणी की। स्पीकर साहब, इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नही किया जाता। यह तो पहले आता है वह पहले पाता है, यह नीति हैं

श्री भूपेन्द्र हुड्डाः स्पीकर सहाब, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो डिटेल्ज इन्होने डिस्ट्रिक्ट वाईज दी है, क्या ये सभ्ज्ञी कनैक ान तत्काल है या सामान्य नही है।

श्री राम पाल माजराः ये सारे कनैक ान तत्काल है, सामान्य नही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः आपने इसमं कहां लिखा है। कि ये तत्काल कनैक ान्ज है? यह क्वै चन हमारे दिवान साहब का था। यह सवाल केवल तत्काल कनैक ान ेदने का नही था। हमने तो डिटेल्ज आफ कनैक ांज पूछी थी। मै पूछना चाहता हूं कि क्या नेय कनैक ान देने बंद कर दिए गए है? क्या आगे कनैक ान नही ले सकते? क्या जो पैसे तत्काल कनैक ान के लिए दे सकता है, क्या उसी का कनैक ान मिलेगा और किसी को कनैक ान नही मिलेगा? जैसा कि हमोर उपाध्यक्ष जी ने कहा कि रोहतक में 3, झज्जर में 8, गुडगांव में 8 और रिवाडी. में 8 और इसी प्रकार से दूसरे जिलों को तत्काल कनैक ान दिए है। मै पूछना चाहता हूं कि जहां–जहां पर तत्काल स्कीम के तहत कनैक ान दिए गए है, क्या वहा ंपर अभी कोई एप्लीके ान बकाया है, या किसी वजह से डील नही हो सकी या किसी ने सिक्योरिटी जमा नही करवाई, क्या इस बात की डिटेल्ज आप इन जिलों की दे सकेगे कि कितनी–कितनी एप्लीकेशंज तत्काल कनैक ान के लिए पैण्डिग है या लोगों ने सिक्योरिटी नही दी, इनके क्या कारण है, इस बारें में बताने की कृपा करे?

श्री राम पाल माजराः स्पीकरसहाब, जहां तक मांग की बात है, अगर लेागों ने पैसा जमा कराय हो तभी तो कनै ान दिया जाता है,यह तो स्पश्ट है। स्पीकर साहब, अगर आप देखे, इनके वक्त में कितनेकनै ान दिए गए है। 1988–89 में देखे 6508 कनैक ान दिए गए। 1990–91 में 10260 दिए गए। स्पीकर सहाब,

अगर मै साल–वाईज ब्रेक अप बताउंगा तो जवाब लम्बा हो जायेगा। फिर भीमै इसे छोटा कर देता हूं। मै बताना चाहूंगा कि वर्श 1997–98 में 960, 1998–99 में 783, 1999–2000 में 820, 2000–2001 में 9450, 2001–2002 में 6699 तथा 2002–2003 में जो मं जो अब तक दिए जा चुके है वे है 1758। तत्काल योजना के तहत जितनी भी सिक्योरिटी आयी है, जितना पैसा जमा हुआ है ओर जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आ चुकी है उनके 6 महीने में सारे कनैक ान रिलीज कर दिए जाएंगे।

श्री सूरज मलः अध्यक्ष महोदय, यहां पर टयूबवैल्ज के बारे में जिक्र आया था। मेरे हल्के में नहरों वगैरा का कोई पानी नही है ओर सिंचाई के लिए टयूबवैल ही एक साधन है। वहां पर कई–कई सालों से बिजली के कनैक ानों के लिए सिक्योरिटीज लोगों ने भरी हुई हैं जिन्होने टयूबवैल्ज लगवा रखे है, वे लोग रात को टयूबवैल्ज चलाते है। और बिजली की चोरी करते है। अगर उनकों बिजली कनैक ान्ज दे दिए जाएं तो इस चोरी को रोकने के लिए यहमददगार होगा। स्पीकर साहब, फसल के बगैर कोई किसान रह नही सकता और पानी के बगैर फसल हो नही सकती इसलिए जिन लेागों के पैसे जका हुए है उनको बिजली के कनै ान्ज दे कर बिजली की चोरी को रोक सकते है और उन किसानों का काम भी चल सकता है। इसी सम्बन्ध में चौधरी बंसी लाल ने स्लैब प्रणाली लागू की थी। उस समय उनके साथ जो एम० एल० एज० थे उनके हल्कों में तो यह स्लैब प्रणाली लागू

की थी। उस समय उनके साथ–साथ हैं हसनपुर और कराड तथा दूसे जो साथ के गांव है, उनमें स्लैब प्रणाली लागू हुई ओर हमारे साथ लगती डौल पर ऐसे ही कनै ान्ज है, लेकिन हमारे यहां यह प्रणाली लागू नही की गई। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे साथ यहा प्रणाली लागू नही की गई। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे साथ हुए इस भेदभाव को क्या दूर किया जाएगा?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सहाब, ने तो पानी का कोई भेदभाव है और न और किसी तरह का कोई भेदभाव है। डॉक्टर साहब को मैने सन्तुश्ट कर दिया था और यह कहा था कि यदि और प्र न पूछना चाहते तो पूछे लेकिन इन्होनें ऐसा नही किया। स्पीकर सर, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये लोग बार–बार ऐसी बात कहते है। कभी दक्षिणी हरियाणा की आवाज उठा कर कभी रोहतक की चौधर का नारा दे कर राजनीति करते है। (विध्न) इस तरके से सपने साकार नही हो सकते है। स्पीकरसर,सूरजमल जी ने यह प्र न पूछा कि क्या स्लैब प्रणाली को ठीक करेगे? इसके अन्दर पहले जो गवर्नमैंट थी, उसने भेदीााव किया। पटवार सर्कल मानकर सीमाबद्ध कर दिया था। हमने नये सिरे से प्रो० सम्बन सिह जीने अगुवाई में एक कमेटी बनाई है जो सारी की सारी त्रुटियो की छानबीन करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रही है, उन्होने इस मामले में कार्यवाही

भी भुरू की है। जहां तक हमारे गहलोत साहब तथा हुड्डा साहब ने पूछा था कि सीनियोरिटी स्टेट की होती है या डिस्ट्रिक्ट की हेाती है, मै उनको बताना चाहूंगा कि सीनियोरिटी डिस्ट्रिक्अर की हेाती है। पश्रतु डिस्ट्रिक्ट वाले अगर कनैक ान के लिए ऐप्लाई करेगं तो पैसा जका करवाएंगे तभी तोउनको तत्काल के तहत 2800 ऐप्लीके ान्ज पैडिंग है और 6 महीने में 2800 कनै ान्ज रिलीज कर दिए जाएंगे।

राव इन्द्रजीत सिहः स्पीकर सर, डिपटी स्पीकर साहब और हुड्डा साहब ने कनैक ान रिलीज करनेके लिए विशय के अन्दर जो समानता नही बरती गई उसके बारे में सी0 पी0 एस0 साहब से सवाल पूछा था, जिसके तहत आप देखेगे कि रोहतक में केवल 3 झज्जर में 8, गुडगांव में 8, फतेहाबाद जिसके सरबार वित्तमंत्री साहब है और सिरसा जिला जो मुख्य मंत्री जी का जिला है उसके अन्दर 334 कनैक ान्ज दिए गए है ओर हिसार में 19 कनै ान्ज दिए गए है, यह असामनता इसलिए तो नही कि ये ओपोजी ान वालों के जिले है।

श्री अध्यक्षः करनाल के अन्दर कितने कनैक ान्ज दिए गए है?

राव इन्द्रजीत सिंहः करनाल में 201 कनैक ान्ज है।

श्री अध्यक्षः इसमें आप किस को दोश देगे?

राव इन्द्रजीत सिहः इसमें तो आपकी सराहना हेागी।

श्री अध्यक्षः यह तो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जहां पर मांग है, वहां पर कनैक ान्ज दिए गए है। मै आपकों यह भी बता दूं कि मेरा जिला पानीपत हैं

श्री अध्यक्षः राव साहब, आप सवाल पूछे।

राव इन्द्रजीत सिहः अध्यक्ष महोदय, कवै चन ही पुट कर रहा हूं। होम मिनिस्टर साहब और मुख्यमंत्री जी जहां के है, वहां पर तो दिल खोल कर कनै ान्ज दिए गए है ओर दूसरे जिलों में नजरअन्दाजी की जाती रही है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो हमारे साथ जो नजरअन्दाजी हो रहीहै, उसके बारे में ये कुछ सफाई देगे और साथ ही साथ सी0 पी0 एस0 साहब मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह भी बता दें कि हमारे जिन जिलों के अन्दर पानी का स्तर घटने की वजह से सब मर्सिबल टयूबवैल्ज लगवानके के बावजूद भी नलकूपों में पानी नही आ रहा है। और किसान अपने नलकूों के फेल होने की वजह से दूसरी जगहों पर टयूबवैल्ज लगवान के लिए मजबूरहो रहे है जहां मजबूरी के तौर पर नये नलकूप लगाये जा रहे है क्या उनके बिजली के कनैक ान्ज प्रायोरिटी के तौर पर जोडेंगे?

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, राव साहब ने जिक्र किया है कि इसमें भेदभाव किया गया है। जहां तक इन्होने फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल,

यमुनानगर के आंकड़े बताए है कि इन एरियाज में कनै ान् ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला भी इसमें भाामिल है। (विध्न) जींद भी इसके अन्दर है। स्पीकर सर, आपको पता है कि टयूबवैल्ज कनैक ान की मांग कहां से आएगी, जहां पानी ऊपर है। जहां तक आपने मेरा जिक्र किया है और अगर आप मेरे हल्के की बात करेगे तेा फतेहाबाद जिले में सेब से कम कनैक ान मेरे हल्के में है। यह क्यां है, इसका क्या कारण है? यह भेदभाव के कारण नही है। इसका कारण यह है कि वहंाा पर पानी ऊपर नही है। वहां पर पानी खारा है और पानी का लैवल नीचे है।इसलिए स्वभाविक है कि जहां पर ज्यादा लोग ज्यादा टयूबवैल्ज के कनै ान के लिए अप्लर्ा करेगे, वही पर ज्यादा कनैक ान मिलेंगे। जहां तक करनाल, कुरूक्षेत्र और सिरसा का एरिया है, आपके घग्गर की बैल्ट है और यमुना की बैल्ट है, इन दोनों बैल्टों के अन्द जहां–जहां पर डिमांड है, उस डिमांड के हिसारसे ही लोग कनैक ान के लिए अप्लाई करेगें और डिमान्डज के हिसाब से लोग टयूबवैल्ज पर खर्च करेगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके एरिया में पानी खारा है तो वे लोग क्यों कनैक ान के लिएपैसा जका करवाएंगे। स्पीकर सर, इसमें कोई भेदभाव नही है। इनकों तो फौबिया हो गया है। हरियाणा सरार किसी मामले में भेदभाव नही करती है चाह वह किवास का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नौकरी का मामल हो, हर मामले में हरियाणाा स्टेट के 90 के 90 हल्के बराबर है। हमारे लिए हरियाणा एक है। पहले ही बहुत बंटवारा हो चुकाहै अर हरियाणा नही बंटैगा। हरियाणा 2 करोड़

10 लाख लोगों का 19 जिलां का और 90 हल्कों का एक हरियाणा है ंकोई उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पि चमी नही है। (ाोर एं व्यवधान)

डा० रघुबीरसिंह कादयानः स्पीकर सर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री जी ने काफी लम्बा चौड़ा भाशण इस सवाल पर दिया है। मै आपके माध्यम से सी0 वी0 एस0 साहब से निवेदन करना की power is State resource तो क्या जो कनैक ान अप्लाई होते है, इकसी कोई स्टेटल लैवल पर वीनियोरिटी बनाने की बात सोचेंगे? क्योकि आपकी इस लिस्ट के हिसाब से साफ डिसक्रिमिने ानदिख रहा है। अगर टयूबवैल्ज के पैडिंग कनैक ान की लिस्ट होती तो उससे क्लीयर पिक्चर सामने आ जाती। क्या आपके पास ऐसी लिस्ट है यादि है तो आप कृपया करके उसको यहां पर बतान का कश्ट करें?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, जहां तक राव साहब ने कहा कि ि ाफिंटग के मामले में दूसरे कनैक ान देते है, यह करते है और वह करत है। मै आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नही हैं ि ाफिटंग अलाउड है। (ाोर एं व्यवधान) स्टेट सीनियोरिटी पर कंसीडर किया जाए। स्पीकर सर, बड़े लम्बे समय से डिस्ट्रिक्ट की सीनियोरिटी पर कंसीडर किया जा रहा है और बाकयदा डिस्ट्रिक्ट सीनियोरिटी के डाकुमैंट बनते है, तैयार किए जाते है तथा रजिस्टर बनते है। आलरेडी इस

मामल को लेकर के इस लिस्ट को डिस्ट्रिक्ट में ही कंसीडर किया जाएगा।

Amount Written off by H.F.C

1064. Sh. Jai Parkash Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state whether any amount of loan has been written off by the Haryaa Financial Corportaton during the period from 1993-94 till to-date, year-wise separately togetherwith reasons thereof?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): श्रीमान जी, हरियाणा वित्तीय निगम ने वर्श 1993–94 से 2001–2002 तक 829.63 लाख रूपये मूलधन तथा 1488.68 लाख रूपये ब्याज ऋण निपटान स्कीम के अधीन रद्द किये है। अधिक रा ि ा वसूल करने हेतु उनपुराने ऋणियों को ऋण रा ि ज्ञ रद्द की गई जिनसे वसूली होनेी असम्भव थी। इसी कारण निगम के नोन परफोरमिंग अस्सैटस में कमी आई। रद्द की गई रा ि ा का विवरण इस प्रकार है:–

(रूपये लाखों में)

वर्श	रद्द की रा ि ा	
	मूलधन	ब्याज
19963-94	222.72	664.28

1994-95	43.85	239.95
1995-96	47.90	196.70
1996-97	15.56	46.92
1997-98	499.40	120.74
1998-99		18.70
1999-2000		48.77
2000-2001		57.42
2001-2002	0..20	95.30

बिना लेख परीक्षित)

श्री जय प्रका ा गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सी0 पी0 एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन युनिटस को लोन दिया गया था, क्याउन्होने अपनेयूनिट स्थापित किए थे या नही?

श्री राम पाल मजाराः स्पीकरसर, गुप्ता जी ने ठीक ही कहा है। 200 के लगभग इस प्रकार की यूनिटस नोटिस में आयी है जिन्होने लोन लेने के आद अपनीयूनिट नही स्थापित की। विजीलैन्स से इस मामले की जांच करवायी गयी है और विजीलैन्स जांच में भी ऐसा ही पाया गया है। स्पीकर सर, 1994 में इन

यूनिटस को इस प्रकार के लोन दिये गये थे जिसकी वजह से काफी नुक्सान भी हुआ हैं गुप्ता जी, अब अगला प्र न यही पछूगे कि इस बारे में कार्यवाही क्या की गयी है। मै इनको बताना चाहूंगा कि महकमें ने दोशी कर्मचारियेां और अधिकारियों को डिसमिस कर दिया है साथ ही जिन्होने लोन के बाद पनी यूनिट स्थापित नही की उनके खिलाफ भी कार्यवाही जारी है इनमें से कई गिरफ्तार भी हुए है।

श्री जय प्रका ा गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सी0 पी0 एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन यूनिटस के मूल व ब्याज रद किये गये है उनकी रिकवरी के लिए अब क्या पग उठाए गए है। और सरकार ने इस बारे में अब क्या पोलिसी एडाप्त की है?

श्री राम पाला माजाराः स्पीकर सर, 1998 से पहले इस बारे में कोई पोलिसी नही थी लेकिन 1998 के बाद से इस बारे में पोलिसी बनायी गयी है। इसपोलिसी के अनुसार जो यूनिटस दो से तीन साल के डिफाल्टर होगे वे 'ए' कैटेगरी में भाामिल किए जाएंगे। उनका 25 प्रति ात चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाएगा एवं दंड ब्याज सारा ही माफ कर यिा जाएगा। इसी तरहसे इनक पैनल्टी इंट्रस्ट भी सारा माफ होगा। इसके अलावा जो यूनिटस तीन से पांच साल के डिफाल्टर होगे उनको 'बी' कैटेगरी में गिना जाएगा इनका 50 प्रति ात चक्रवृद्धि ब्याज और पैनल्टी इंट्रस्ट भी माफ किया जाएगा। इसी प्रकार से जो यूनटिस पांच सालसे ऊपर

के डिफाल्टर होगे उनको 'सी' कैटेगरी में गिना जाएगा इनका 50 प्रति ात चक्रवृद्धि ब्याज और पैनल्टी इंट्रस्ट भी माफ किया जाएगा। इसी प्रकार से जो यूनिटस पांच साल से ऊपर के डिफाल्टर होगी उनकी 'सी' कैटेगरी में गिना जाएगा। उनका 100 प्रति ात चक्रवृद्धि ब्याज माज्ञफ किया जाएगा। स्पीकरसर, यहपोलिसी सन 1998 में बनायी गयी है। स्पीकरसर, 1998 से पहले का जिस तरह से यह 1994–95 का केस उद्धत हुआ है तो उस समय माननीय चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लगभग 200 से ऊपर ऐसे लोगों को इंगित किया गया है जिन्होने लोन तो ले लिया लेकिन अपनी यूनिट स्थापित नही की। जिस कारण लगभग 97 करोड़ रूपये का इम्बैजलमैंन्ट हुआ।

श्रीमती अनिता यादः स्पीरकर सर.....

श्री अध्यक्षः अनिता जी, क्या आप कोई सप्लीमैट्री पूछना चाहती है?

श्रीमती अनिता यादवः स्पीकर सर, जब किसानों के हक से संबधित कोई मामला होता है उस समय तो आप हमें बोलने नही देते है।

श्री अध्यक्षः अनिता जी, अब आप बैठ जाए।

श्री जय प्रका ा गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्ये से सी0 पी0 एस0 साहब से जानना चाहता हूं कि जिन लेागों को यह लेाग (मूलधन व ब्याज) माफ किया है उसकी रिकवरी के लिए

क्या पग उठाए थे औरकया ये लोन देते समय भयोरिटी काप्रावधान थाऔर अगर लोनीरिकवरी के समय लेान नही दे पा रहे थे तो क्या उन यूनिटों को सेल किया गया औश्रसेल करने` बार उनका जो मूल व ब्याज बचा है उसकी रिकवरी के लिए क्या पग उठाए गए है, ये बताने की कृपा करें।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, जांच अभी जारी है पूरा निचोड़ या कंक्लूजन नही आया है उनसे रिकवरी के मामले को लेकरकई कोर्टस में केस दायर उन्होने किए है, कइयों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। जहां तक भयोरिटी की बात थी, स्पीकर सर, थर्ड पार्टी की पेमेन्ट जाती है जहां तक थर्डपाटी को पेमेन्ट करने का प्र न है, अभी केस दर्ज किये गये है उनसे रिकवरी भी ली जाएगी ओर विजिलैस की रिपोर्ट आने के बारचाहे वे कितने भी बड़े आदमी हुए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्ये से सी0 पी0 एस0 साहब से जानना चाहूंगा कि जो विजिलैस इंक्वायरी चल रही हैउसकी क्याकोर्ठ समय सीमा निर्धारित की है ताकि दोशी लोगों को सजा दिर्ला जा सके?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, जहां तक सजा देने का सवाल^, उनकी रिपोर्ट पर ही 9 कर्मचारियों और अधिकारियों को डिसमिस किया गया है,नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

यह पहली बार हुआ कि यूनिटस के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां तक विजिलैंस की रिपोर्ट की बात है, वह जारी है। काम पूरा होने पर रिपोर्ट दे देंगे। वैसे उन्हें जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है कि फर्जी यूनिटों को लोन दे दिया गया है आर उस लोन का मूल और ब्याज भी सरकार ने माफ कर दिया है ये तोउन दोशी लोगों को प्रोत्साहन देने वाली बात हुई। सी0 पी0 एस0 साहब ने यह भी बताया है क कुछ कर्मचारियेां और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। मै जानना चाहूंगा कि भविश्य में इसकी पुनरावृति ने हो इसके लिए क्य पग उठाए गए है?

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, जो पोलिसी बनाई गई उनमें मूल माफ करने की बात नही है और यूनिट को अपनाकैपिटल भी इन्वैस्ट करना पड़ेगा। पीछे जो हुआ है, उसमें यह सही है कि मुल भी माफ कियागया है।

श्रीमती अनीता यादवः आप लोग यही काम करेंगे। (विध्न)

श्री राम पाल माजराः अनीता जी, यह काम आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्होने किया है। यह 1994 का मामला है, जा मै बता रहाहूं। मैडम, आप पढ़ लिया करें।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लग गये।)

चौधरी नरेन्द्र सिहः स्पीकर सर, यह सरकारमहिलाओं की इज्जत की बात करती है और आज एक महिला को डराया जा रहा है।

श्रीमती अनिता यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कह रहे है कि मैने यक प्र न पढ़ा नही है लेकिन मैने यह प्र न पढ़ा है।

श्री अध्यक्षः आप सभी सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाईये। आप इस तरह क्या दिखना चाहते है।

प्रो0 सम्पत सिहः स्पीकर सर, इनकी हालत देख लो।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप अपने मैम्बर्ज को बैठाईये।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सी0 पी0 एस0 साहब को ऐसा नही करना चाहिए औरजो इन्होने कहा है उसके लिए इन्हें खेद प्रकाट करना चाहिए।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, मैने सिर्फ इतना कह था कि इन्होने उस प्र न को पढ़ने की कोि ा ा नही की। अगर इस बात से भी उनका आघात पहुंचा है तो मै उनको इसबारे

में आपने आप कह दूंगा। वास्ता मेंयह सवाल उनहोने पढ़ा नही है।

श्री कृश्ण पाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, आज महिलाओं की मांगों के बारे मे ंनही कहागया है बल्कि पीटने के बारे में कहा गया है।

श्रीमती सरिता नारायणः अध्यक्ष महोदय, यह एक नौआ कारोल आदा किया जा रहा है। माननीयसदस्या को यह नही पता कि सदन मं कैसे बोला जात है। उनको पता होना चाहिये कि सदन में अध्यक्ष सकी परमि ान लेकर बोला जाता है।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

श्रीमती वीन छिब्बरः अध्यक्ष महोदय, मेरी आदरणीय बहन को यह नही पता कि सदन में कैसे बोला जाता है। उनके पता होना चाहिये कि सदन में अध्यक्ष की आज्ञा लेकर बोला जात है। वे बैठकर बाल रही है अगर वे आज्ञा लेकर बोलती और फिर कुछ हो जात तो हम उनकासाथ देती। वे तो सिर्फ नाटक कर रही हैं

श्री अध्यक्षः आप बैठिये

Modernizationof Police

1088 Sh. Malik Chand Gambhir: Will the Chief Minister bepleased to state the year wise amount receivedf

from Central Government for the modernization of police during the last ten years?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजारा): विवरणिका विधान सभा पटरल पर रखी है।

विवरणिका

वर्श 1992–93 से वर्श 2001–2002 के दौरान पुलिस बल के आधुनिककरण योजना के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्श यह धनरा ि ा प्रदान की गईः–

क्रमांक	वर्श	भारत सरकार द्वारा धन वितरण
1.	1992-93	रूपये 100.250 लाख
2.	1993-94	रूपये 35.950 लाख
3.	1994-95	रूपये 35.855 लाख
4.	1995-96	रूपये 71.710 लाख
5.	1996-97	रूपये 35.855 लाख
6.	1997-98	रूपये 71.710 लाख
7.	1998-99	रूपये 71.710 लाख

8.	1999-2000	रूपये 319.520 लाख
9.	2000-2001	रूपये 2832.50 लाख
10.	2001-2002	रूपये 2446.00 लाख

श्री मलिकचंद गम्भीरः अध्यक्ष महोदय, पुलिस मॉडर्नाईजे ान का जो ब्यौरा दिया गया है, उसको प्रति वर्श के हिसाब से ध्यानसे देखें तो कांग्रेस के राज में उसकी गितनी बहुत कम है और चौधरी बंसी लाल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उस समय की गिनती भी बहुत कम है। लेकिन जब से परम आदरणीय चौधरी ओम प्रका ा चौटाला जी की सरकार प्रदे ा में आई है, उसके बाद पुलिस माडर्नाजे ान में कई गुणा बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ–साथ मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि हमारी पुलिस का माडर्नाजे ान करने के लिए जो सैंटर से एड आई है, और जो सरकार की योजनाहै, उसमें कितना पैसा मिला है और वह कहां–कहां पर खर्च करने का विचार है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, यह ठीक है कि हरियाणा प्रदे ा में पुलिस का मॉडनाईजे ान करने के लिए पग उठाये गये है। इन सबकों लेकर के लॉ एण्ड आर्उर को ठीक रखने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे है। उनमें जिस प्रकार से यह द ार्िया गया है कि इनता इनता बजट हरियाणा प्रदे ा की पुलिस की मॉडर्नाइजे ान मद पर खर्च हेागा। जहां तक तक

इन्होने पूछना चाहा है कि वह खर्चा कहा–कहां करने जा रहे है तो मै इनको बताना चाहूंगा। नई व पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त के लिए जिसमें बुलट प्रूफ, माइन प्रूफ गाड़िया हो, जिनकी आजकल बहुत जरूरत है। इसलिए इनकी खरीद के लिए, उन्हें ठीक करवाने के लिए भ्झी यह पैसा खर्च किया जाएगा। प्र ाक्षण केन्द्रों में सहूलियतें देने के लिए, म ाीनरी को और बढ़ाने के लिए इस में से खर्च किया जाएगा। एफ0 एस0 एल0, एफ0 पी0 बी0 पर भी सहूलियतें दी जाएगी। जांच पड़ताल, गैदरिंग से सम्बन्धित यंत्र इसमें भाामिल है। आज सारा युग मॉडर्नाइज हो रहा है, कम्पयूट्राइज हो रहा है वही इन केन्द्रों पर भी कम्पयूटर लगाये जाएंगे। पुलिस स्टे ानों, पुलिस चौकियों, भवनों और पुलिस लाईन्स की सुरक्षा के लिए, महिला पुलिस को सहूलियतें देने के लिए, कंट्रोल रूप लगाने के लिए, नाइट विजन डिवाइस, मैटल डिटैक्टर, बम्ब डिस्पोजन इक्यूपमैंट्स, बोडी प्रोटेक्र, बुलट प्रूफ आदि इस प्रकार के जरूरी सुरखा यंत्र भाामिल है। आधुनिक ट्रेफिक कंट्रोल यंत्र आदि लगाने के लिए भी यह पैसा खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार सेपुलिस के लोगों के रहने के लिए मकान बनाए जाएंगे ताकि हरियाणा प्रदे ा के पुलए कर्मचारी, अधिकारियों को अच्छे मकान दिए जा सके और वे अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर सकें। इसलिए हरियाणा प्रदे ा के मुखिया के अथक प्रयासों से हरियाणा प्रदे ा की पुलिस के मॉडर्नाइजे ान के लिए बजट में बढ़ौतरी हो सकी हैं

चौधरी जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि रख रखाव के लिए 2 वर्शो में पैसा काफी आया है लेकिन मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें से कितना पैसा राजनीतिक विरोधियां के खिलाफ मुकदमें दर्ज करने में खर्च किए गए है क्येांकि मेरे पास ऐसे तथ्य है अकेले सिरसा जिले में 400 मुकदमें दर्ज किए गए, जींद जिले में 20 मुकदमें दर्ज किए गए। हरियाणा का पूरा हिन्दुस्तान में अपराध प्रति ात 58 हैं

श्री राम पाल माजराः इस पैसे में से कोई पैसा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज करने पर खर्च नही किया गया। पंजाब में यदि इसतरह पर्चे दर्ज होते है, तो ये कहते है कि ठीक है। अब हरियाणा अपराधियों के खिलाफ पर्चे दर्ज होते है, तो इनको ऐतराज होता है। (ाोर एवं व्यवधान) कोई भी गुडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ जरूर पर्चा दर्ज किया जाएगा।

चौधरी जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी, आप बैठें, मंत्री जी खड़े है। जय प्रका ा जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिह): अध्यक्ष महोदय, मुकदमें जितने दर्ज हुए है, अपराधियों के खिलाफ हुए है यह कोई राजनीति विरोधी का मामला नही है और न ही पार्टी का मामला है अपराधियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए है और हेाते रहेत है। जहां तक क्राइम की बात है तो क्राइम पिछलेसाल के मुकाबले कम

हुआ है इन्होने मुकदमों का जिक्र कर दिया तो मै बताना चाहूंगा कि ज्यादतियों अगर होती है तो जो निम्न वर्ग हेाता है, उनके साथ महिलाओं के साथ होती है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, * * * * * * (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय,* * * * * *

श्री अध्यक्षः जो भी माननीय सदस्य बगैर इजाजत बोल रहे है उनकी बात रिकार्ड न की जाए।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मै कह रहाथा कि अगर ज्यादतियों होती है तो वह निम्न वर्ग और महिलाओं के साथ होती है। आज मुझे यह कहते हुए हर्श को रहा है कि गवनमैंट ऑफ इंडिया की सो ाल वैलफयेर मिनिस्टरी ने और हमारे सो ाल वैलफेयर मिनिस्टर ने अब जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि हरियाणा अट्रोसीटज मुक्त प्रदे ा है। स्पीकर सर इनकी 1993 और 1995 की दो सालों की रिपोर्ट भी मेरे पास है जिसमें द ार्ाया गया है कि हरियाणा के अंदर अम्बाला, करनाल, सोनीपत, गुडगांव और फरीदाबाद इन पांचों जिलों में 1993 औश्र 1995 में अट्रोसीटीज म्ि वर्क के लोगों और महिलाओं पर हुई। (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इन्होने मुकद्में के बारे में पूछा है, क्राईम के बारे में पूछा है इसीलिए मै बताना चाहता हूं। स्पीकर सर, यदि ये कहते है है तो इनमें सुनने का मादा भी होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, सवाल क्या है और मंत्री जी जवाब क्या दे रहे है? नइके जवाब का सवाल के साथ कनैक ान नही है। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिह स्पीकर सर, मै मानता हूं कि सवाल के जवबा का कोई कनैक ान नही है लेकिन जय प्रका ा बरवाला जी ने जो सप्लीमैंटरी की है उससे मेरे जवाब का कनैक ान है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी, प्लीज आप बैठिये। (ाोर एवं व्यवधान) जय प्रका ा जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिहः स्पीकर सर, मै विपक्ष के साथियों को बताना चाह रहा हूं कि इनकी सरकार के समय में निम्न वर्ग के लोगों और महिलाओं के साथ क्या–क्या अत्यचार होते थे और हमारी सरकार के समय उनको मिनासम्मानदिया जाता है। 11 जून 2002 को भारत सरकार की चिट्ठी आई जिसमें कहा गया है कि हरियाणा अत्याचार प्रोन एरिया नही है और इसका श्रेय हरियाणा प्रदे ा के लोगों को जात है, हरियाणा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है, हरियाणा प्रदे ा की पुलिए को जाता है, हरियाणा प्रदे ा के प्र ाासन और कानून व्यवस्था को जाता है लेकिन मेरे विपक्ष के साथी जो इस तरह की गलत बातें बोलते है

उनमें कोई दम नहीहै। भारत सरकार ने खुद माना है कि हरियाणा अत्यचार प्रोन एरिया नही है। स्पीकरसर, इससे फालतू न्याया क्या होगा, इससे फालतु कानून व्यवस्था काराज ओर क्या हेागा कि भारत सरकार स्वयं माने कि हरियाणा अत्याचार प्रोन एरिया नही हैं इस बात के लिए मेरे विपक्ष के साथियों को सरकार की सराहना करनी चाहिए बजाए अखबार और कागज उठाकर फालतू की बात करने के। स्पीकरसर, हमने किसी के खिलाफ भी राजनैतिक भावना रखते हुए मुकदमा दर्ज नही करवाया। जो अपनाधी है, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए है और आगे भी दर्ज होते रहेगे चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधि रखते हों यदि अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज होने बंद हो जायंगे तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़ जायेगे और कानून व्यवस्था की सिथति बिगड़ जायेगी। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रका T: अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष: बरवाला जी मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे है,इसलिए ये जो भी बोल रहे है वह रिकार्ड न किया जाये। (ाोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, प्लीट आप बैठें। (ाोर एवं व्यवधान)

Government Girls College,Fatehabad

1069. Sh. Lila Krishan: Will the Minister of state for educationbe pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the busilding of Govt. Girls College, Fatehabad;

(b) If so, the time by which the construction work of said building is likely to be started;

(c) Whether there is also any proposal to construct the Hostel in the College referred to in part (a) above?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इस भवन का निर्माण कार्यचालू वित्त वर्श 2002–2003 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

(ग) नही, श्रीमान जी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्र नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखेग गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Realisation of Revenuse in Power Utilities

1098 Sh. Puran Singh Dabra: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any increase in assesment and revenuse realizationof power utiliteis during the year 2001-2002 as comparred to 1998-99; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): हां, श्रीमान, पवार इकाइयां के राजस्व में वर्श 1998–99 के 2052.00 करोड़ की अपेक्षा वर्श 2001–2002 के दौरान 2945.00 करोड़ रूपये की वृद्धि हो गई है जोकि 43.52 प्रति ात है। इसी तरह वसूली में वर्श 1998–99 के 1758.00 करोड़ रूपये की अपेक्षा वर्श 2001–2002 में 2676.00 करोड़ रूपये की वृद्धि हो गई है जोकि 52.22 प्रति ात है।

Sports Stadium af Kaithal

1074 Sh. Lila RAm: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sport Stadium at Kaithal; and

(b) If so, the time by which it is likely to be constructed?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला):

(क) हां, श्रीमान।

(ख) भूमि अधिग्रहण की जा रही है। स्टेडियम निर्माण का कार्य भूमि अधिग्रहण उपरांत किया जायेगा।

Construction of Roads of HSAMB in Faridabad

1123. Sh. Rajinder Singh Bisla: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the Constituency-wise

details of New Roads in Kilometres constructed by the Haryana State Agriculture Marketing Board during the period from April, 1996 to 31st July, 1999 and from 1st August, 1St August, 1999 to 31st May, 2002 in district Faridabad togetherwiththe expenditure incurred thereon?

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू): जिला फरीदाबाद में निर्मित सड़कों की लम्बाई खर्चे सहित निम्नलिखित है:–

क्रमांक	अवधि	सड़कों की लम्बाई	निर्माण पर व्यय
1.	01.04.96 से 31.07.99	55.66 कि०मी०	252.22 लाख रूपये
2.	01.08.99 से 31.05.2002	143.05 कि० मी०	860.89 लाख रूपये

निर्वाचर क्षेत्रवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

ब्यौरा

निर्वाचन क्षेत्रवार जिला फरीदाबाद में निर्मित सड़कों की लम्बाई खर्च सहित निम्नलिखित है:–

क्र०	निर्वाचन क्षेत्र	निर्मित सड़कों की	सड़कों के निर्माण

	का नाम	लम्बाई (किलोमीटरों में)		पर खर्च (रूपये लाखें में)	
		01.04.96 से 31.07. 99 तक	01.08.99 से 31.05. 2002	01.04.96 से 31.07. 99 तक	01.08.99 से 31.05. 2002
1.	फरीदाबाद	1.30	2.85	7.76	26.04
2.	मेवला महाराजपुर	8.65	9.39	49.13	67.96
3.	बल्लबगढ़	5.07	29.38	24.54	187.40
4.	हथीन	6.10	38.20	34.43	209.55
5.	हसनपुर	11.11	30.25	34.50	202.44
6.	पलवल	24.43	32.98	101.86	167.50
	योग	56.66	143.05	252.22	860.89

Amount Spent gifts given by HARCO Bank

1185. Sh. Nafe Singh Rathi: Will the Minister for cooperation be pleased to state—

(a) Whether any gifts have been presented to the politicians and officers by HARCO BANK during the period

from 1st July, 1991 to 20th May, 1996, if so, the amount thereof?

(b) Whether the aforesaid figts were givenin accrodance with rules of the Bank; and

(c) If not, whether any action has been taken against the officers who were responsible for presenting the said gifts and recipients thereof?

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे तारांकित प्र न संख्या 1185 के बारे में सहकारिता मंत्री की तरफ से 15 दिन के लिए एक्सटें ान की रिक्वैस्ट आई है जोकि मैने ग्रांट कर दी है और इस पत्र के कान्टैट्स इस प्रकार है–

"nterim reply"

''करतार सिंह भडााना''

अ० स० पत्र क्र.....

.....

सहकारिता मंत्री,

हरियाणा, चण्डीगढ़।

दिनांक 02.09.2002

आदणीय अध्यक्ष महोदय,

तारांकित प्र न संख्या 1185 माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी द्वारा पूछा गया है। इस प्र न के लिए 1991 से 1996 तक पांच साल के तिथि वार आंकड़े इक्कठे करने में समय लगेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्र न का उत्तर

देने के लिए 15 दिनका समय देने की कृपा करें।

सादर,

आपका

हस्त०/–

(करतार सिंह भडााना)

श्री सतबीर सिंह कादियान

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़''

Final reply to this question appears as Annexure to this Debate

Atrocities on Scheduled Castes

1087. Sh. Amar Singh Dhanday: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The year-wise nukmber of cases of atrocities such as murder, beating and rape committed on scheduled castes registered during the last 10 calender years; and

(b) the steps taken or porposed to be taken to check such atrocities?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

राज्य में गत 10 वर्शो में अनुसूचित जातियों पर अत्यचार जैसे हत्या, मारपीट व बलात्कार के कलैण्डर वर्शवार दर्ज किये गए मुकदमों का विवरणः—

वर्श	दर्ज मुकदमों की संख्या		
	हत्या	मारपीट	बलात्कार
1992	14	40	26
1993	13	38	18
1994	11	47	22

1995	15	49	30
1996	12	36	22
1997	08	56	30
1998	15	49	34
1999	13	55	40
2000	12	76	37
2001	13	61	24

(ख) राज्य में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये है:–

1. राज्य सरकार द्वारा ''अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम'' 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों से सम्बन्धित दर्ज मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ''वरिश्ठतम अपर सत्र न्यायाधी ा'' को अधिसूचना जारी करके ''वि ोश न्यायालय'' घोशित किया गया है।

2. इसी तरह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की पैरवी ''वि ोश न्यायालयों'' में करने हेतु राज्य के प्रत्येक सै ान डिवीज नमें तैनात लोक अभियोजक को अधिसूचना जारी करके ''वि ोश लोक अभियोजनक'' नियुक्त किया गया है।

3. अनुसूचित जाति/जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 क तहत राज्य के प्रत्येक जिला में ''वि ोश सैल'' खोले गये है, जिनका इन्चार्ज जिलापुलिस निरीक्षक है ओर यह सैल सीधे ही जिला पुलिस अधीक्षक की निगरानी में कार्य करता है, जहां पर अत्याचारों से सम्बन्धित ि ाकायतों पर दर्ज केसों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

4. अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों का अनुसंधान राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा इन मुकदमों को ''स्पे ाल रिपाटिड केस'' जाना जाता है। जिनके अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा रेंज तथा राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी की जाती है।

5. गैर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों परकिए गए अत्यचारों से सम्बन्धित घटनाओं पर दर्ज मुकदमों के सम्बन्ध में आंकडे तथा प्रगति रिपोर्ट की ''मासिक, त्रैमासिक तथा वार्शिक रिटर्नज'' राज्य एकवं केन्द्र सरकार को भी नियमित रूप से पयेवेक्षण हेतु भेजी जाती है।

6. अनुसूचित जाति/जनजातियों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों की सूचना केन्द्र सरकार से नियमित रूप से आदान प्रदान हेतु राज्य पुलिस मुख्यालय पर वरिश्ठ पुलिए अधिकारी ''नोडल आफिसर'' नियुक्त किए गए है जो इन मामलों का गहनता से अध्ययन करके समीक्षा करते है।

7. हरियाणा पुलिस आकादमी, मधुवन में प्रत्येक पुलिए प्र ि ाक्षणार्थी को प्रारम्भिक बेसिक ट्रेनिंग के दौरान अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिए कर्मियों को विभिन्न पदोन्नतियों से पूर्व अनिवार्य प्र ि ाक्षण कोर्सिज के दौरान भी उक्त अधिनियमों के सम्बन्ध में वि ोश प्र ि ाक्षण दिया जाता है।

8. इस अधिनियम के बारें हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रका ि ात सामग्री जिला मुख्यालयों, न्यायालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई है ाकि ऐसे अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति सक्षम न्यायालय से न्याया प्राप्त कर सकें।

Number of persons benefitted under Old Age Pension Scheme

1125. Sh. Sher Singh: Will the Minister of state for Social Welfare be pleased to state—

(a) The total number of person who are being benefitted under old age pension scheme in the State as present;

(b) Whether any specific period has been fixed to conduct fresh survey to identify the persons who become eligible for old age pension, if so, the details thereof

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह):

(क) इस समय राज्य में ताऊ देवी लाल वृद्धावस्था पैं ान योजना के अन्तर्गत कुल 8,88,348 व्यक्तियों के लाभ दिया जा रहा है।

(ख) वृद्धावस्था पैं ान के लिएपात्र हो गये व्यक्तियेां कीपहचान करने के लिए मास मई–जून 2002 में सर्वेक्षण करवाया गया। इस समय नये पहचान किये गये व्यक्तियों का पुनर्सत्यापन किया जा रहा है।

Export of Basmati Rice and Wheat

1101. Sh. Bhagwan Sahi Rawat: Will the Minister for Coorperation be pleased to state—

(a) Whether the Government agency like HAFED has entered into export market of Basmati Rice; if so, the details therof; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to enter into the export market for wheat; if so, the details thereof?

1170 Sh. Ranbir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the details of amount spent on the construction/maintenance/repair of roads in the State separately during the last three years and also the amount spent on this account during the last lenure i.e. 1996 to June, 1999?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): सम्बन्धित अवधि के दौरान सड़कों के निर्माण, रख–रखाव तथा मरम्त पर खर्च की गई रा ि ा का विवरण निम्न प्रकार है:–

अवधि	खर्च की रा ि ा (रूपये लाखों में)			
	निर्माण	रख–रखाव	मरम्मत	जोड़
जुलाई, 1999 से अब तक	27404.02	54678.15	42835.90	124918.04
1996 से जून, 1999 तक	7490.92	27722.74	24667.34	59881.00

VoluntaryDisclosure Scheme

1102. Sh. Ramesh Rana: Will the Chief Minister be pleased to state whether the power districbution untilities have lanuched voluntary Disclsure scheme agriculture, industrial and commercial consumers, if so, the response of the consumers thereof?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा): हां, श्रीमान, वितरण बिजली कम्पनियों ने ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में घरेलू, औद्योगिक तथा कृशि नलकूप बिजली उपभोक्तओं के लिए जून, 2002 में स्वैच्छिक भार घोशणा योजना प्रारम्भ की है जो दिनांक 10.06.2002 से 15.07.2002 तक तथा दिनांक 01.08.2002 से 31.08.2002

तक परिचालन में रही। उपभोक्तओं का रिस्पोन्स उत्साह वर्द्धक था तथा इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2002 तक 16615 उपभोक्तओं ने 73063 किलोवाट अनधिकृत भार की घोशणा की।

इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त श्रंणियों के उभोक्ताओं द्वारा घोशित भार का विवरण सदन के पटन पर प्रस्तुत है।

विवरण

स्कीम के अन्तर्गत उपभोक्तओं की विभिनन श्रेणियों द्वारा घोशित किये गये भार का विरण निम्न प्रकार है:–

क्र० सं०	उपभोक्ताओं की श्रेणी	आवेदकों की संख्या	घोशित किया गया भार किलोवाट में
1.	घरेलू आपूर्ति	1911	6268.947
2.	गैर घरेलू आपूर्ति (वाणिज्यिका)	337	2533.692
3.	औद्योगिक	464	10199.650
4.	कृशि सम्बन्धी	13903	54060.480
	योग	16615	73062.769

1091. Sh. Sita Ram: Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) Whether the HAFED has set up any Animal Feed plant in the state during the year 2000-2001 to 2001-2002 to-date; if so, the details thereof; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to set up such more plants in the state in future?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना):

(क) हां, श्रीमान जी। वर्श 2001–2002 के दौरान हैफेड ने 50 टन प्रतिदिन की क्षमता काएक प ु चार संयंत्र सक्ताखेड़ा जिला सिरसा में स्थापित किया है।

(ख) नही, श्रीमानी जी।

Decreasing Water Table

1173 Sh. Bishan Lal Saini: Will the Chief Minister be pleased in state—

(a) Whether it is a fact that the water table of Northern Haryana has gone down;

(b) If so, the steps taken or proposed to be taken to raise the water table of the aforesaid area; and

(c) Whether the Government intends to construct the Dadupur Nalvi Canal; if so, the time by which the construction works of the said canal is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) मीठे जल क्षेत्र से गुजरने वाली ड्रेनों में निचली सतह के छोटे बन्धे (हम्पस) बनाने की प्रस्ताव है, इसके अतिरिक्त आवर्धन नलकूपों को जलस्तर पुनरावर्ती कुंओं में बदला जाएगा। राज्य में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण तालाओं की खुदाई की गई हैं ि ावालिक पहाड़ियों के साथ कन्डी परियोजना के अन्तर्गत वर्शा के जल को संचित करने के प्रयत्न किए जा रहे है। इस क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर की पुनरावर्ती के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई है और केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड की स्वीकृति एंव आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रस्तुत की हुई है।

(ग) योजना सरकार के विचारधीन है।

Agreement between Government and B.K.U.

1095 Sh. Raghuvir Singh Kadian: Will the Chief Minister be pleased to state whether any agreement has been signed between the representatives of the Haryana Government and Bhartiya Kishan Union on 30th January, 2002 at Jind, if so, the details thereof.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): जी नही।

Setting up of 7th & 8th Units of TDLPS

1077 Sh. Jasbir Mallour: Will the Chief Minsiter be pleased to state whether there is any propsla under considerationof the Government to set up 7th & 8th unit of TDLPTPS, if so, the details thereof together with with the time by which it is likely to be commissioned?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): हां, श्रीमान। ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टे ान, पानीपत में 2X250 मैगावाट क्षमता की 7वी व 8वी इकाई (अर्थात 500 मैगावाट) स्थापित करने का निर्णय लिया गयाहै जिनकी अनुमानित लागत 1785.36 करोड़ रूपये है। इन इकाईयों को स्थापित करने का कार्य दिनांक 26.03. 2002 को दर्नकी जॉब के आधार पर मैसर्ज बी0 एच0 ई0एल0 को दियागया है। जिसके अनुसार 7वी तथा 8वी इकाई को क्रम ाः 31 तथा 35 महीनों में चालू करने का अनुबन्ध है और यह भरसक प्रयास रहेगा कि 7वी इकाई को 29 महीनों में चालू किया जाए। प्लांट स्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका हैं

Widening of Roads

1166. Sh. Shashi Parmar: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to widen the following roads:—

(i) From Bhiwani to Rothak;

(ii) Bhiwani to Gohana via Meham;

(iii) Bhiwani-Jind Road;

(iv) Bhiwani to Hansi;

(v) Bhiwani to Jhupa via Behal: and

(vi) Bhiwani-Loharu

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): हां, श्रीमान जी।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Challans of Vehicales

126. Sh. Karan Singh Balal: Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) The total number of challans of vehicles have been mde by R.T.A., Faridabad during the year 2000 and 2001;

(b) The Total number of challans cancelled during the said period togetherwiththereasons thereof?

परिवहन मंत्री (श्री अ ाोक कुमार अरोड़ा):

(क) वर्श 2000 तथा 2001 के दौरान आर०टी0ए0/डी0टी0ओ0, फारीदाबाद द्वारा वाहनों के कु 6307 तथा 4112 चालान किये गये।

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोई चालान रद्द नही किया गया।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parlianemntary affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to moveMr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parlianemntary affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move—

That the Proceedings on theitems of business fimxed for today be exepted at this day's sitting from the provisions of theRule "Sittings of the Assembly" indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Proceedings on theitems of business fimxed for today be exepted at this day's sitting from the provisions of theRule "Sittings of the Assembly" indefinitely.

Mr. Speaker: Question is—

That the Proceedings on theitems of business fimxed for today be exepted at this day's sitting from the provisions of theRule "Sittings of the Assembly" indefinitely.

The motion was carried.

ध्यानकर्शण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों के नोटिसों के सम्बन्ध में सूचना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर साहब, मेरे कुछ एडजर्नमेंट मो ान थे (ाोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरे भी कुछ काल अटैं ान मो ान्ज थे, उनका क्रूा हुआ। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिये। मै आप सभी को एडजर्नमैंट मो ान्ज और काल अटैं ान मो ान्ज के बारे में बता देता हूं। पहले आप सभी बैठिये।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला, कैप्टन अजय सिंह यादव और श्री कर्ण सिंह दलाल का ड्राउट इन दि स्टेट ऑफ हरियाणा के बारे में जो कालिंग अटैं ान मो ान था, वह मन्जूर कियागया था और उस पर डिस्क ान हो चुकी है। भगवान सहाय रावत और दो अदर मो ान था, वह डिसअलाऊ कर दिया। कर्ण सिंह दलाल का इन स्फीि ायट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम आगरा कैनाल के बारे में कालिंग अटैं ान मो ान था, वह पहले ही आ चुका है। कर्ण सिंह दलाल का ही ड्राउट सिचुए ान इन हरियाणा एण्ड नोन कम्पलाएंसा ऑफ गवर्नमैंट आर्डर रिगाडिंग गिरदारी के बारें में जो कालिंग अटैं ान मो ान था, वह पहले ही आ चुका है। कर्ण सिंह दलाल का ही क्रेक इन हाउसजि इन समएरियाज ऑफ पलवल सिंटी के बारे में जो कालिंग कटैं ान मो ान था, वह गवनर्ममैंट क कमेंटस के लिए भेज दिया गया है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य 5 एम0 एल0एज0 का कस्ट्रक ान ऑफ एस0वाई0एल0 कैनाल

के गारे में जो कालिंग अटैं ान मो ान था उस पर भी कल बहत हो चुकी है। रघुबरी सिंह कादियान का डैमेज आफ रोडस इन दि विलेजिज ऑफ बेरी कांस्टीच्यूऐंसी के बारे में जो कालिंग अटैं ान मो ान था, वह डिसअलाऊ कर दिया है। कर्ण सिंह दलला का नोन पेमैंट आफ भूगर केन टू फारमर्ज के बारे जो कालिग अटैं ान मो ान था, वह डिस अलाऊ कर दिया गया क्योंकि वह आपने लेट दिया था। रघुबरी सिंहकादयान का डिस्ट्रीब्यू ान आफ वाटर फ्रॉम रावी एण्ड व्रूास रीवर पर जो कालिंग अटैं ान मो ान था, वह डिसअलाऊ कर दिया है। भूपेन्द्र सिह हुड्डा औश्र 5 दूसरे एम0एल0एज0 का इल्लीगल डैमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्ज पर जो भाोर्ट डयूरे ान डिस्क ान करने का नोटिस था,वह भी डिसअलाऊ कर दिया गया है। भूपेन्द्र सिह हुड्डा व 5 दूसरे एम0एल0एज0 का एडजर्नमेंट मो ान कस्ट्रक ान ऑफ एस0वाई0 कैनाल इनपंजाब एरिया था, वह एज एक कालिंग अटैं ान मो ान एडमिट कर दिया गया था, और उस पर बहस हो चकी है। भूपेन्द्र सिह हुड्डा और 5 दूसरे एम0एल0एज0 का अलारमिंग ड्राउट सिचुए ान इनदि स्टेट पर जो एडजर्नमेंट मो ान था, इस बारे में जो कालिंग अटैंान मो ान नं० 1 था, उस समय इनको सप्लीमेन्टरी पूछने का मौका किल चुका है और बहस हो चुकी है। रघुबीर सिह कादियान का ओर दूसरे 11 एम0ए0एज0 का इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यू ान ऑफ वाटर फार इरीगे ान के बारे में जो एडजर्नमैंट मो ान था, वह डिसअलाऊ कर यिा हैं श्री बी0एसी0 हुड्डा और दूसरे 11 एम0 एल0एज0 का फ्रेस्ट्रे ान इन

सिक्यासेरिटी ऑफ दि एम्पलाइज पर जो एडजर्नमेंट मो ान था, वह डिअलाऊ किया गया है। श्री आर0एस0 कादियान का रिगाडि।ग एजिटे ानबाई फारमर्ज के बारे में जो एडजर्नमेंट मो ान था, वह भी डिअलाउ किया गया है। (ाोर एवं व्यवधान)

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die

The motion was carried.

विभिन्न मामले उठाना

श्री अध्यक्षः आप सभी लोग बैठें (विध्न) आप लोग अपना आचरण सुधारें और हाउस की कार्यवाही में इन्टरवीन न करें। (ाोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, हाउस की प्रोसीडिंग्ज में रूकावट डाली जा रहे है मेहरबानी करे आप इनको ठीक करें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिह दलालः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैने एक–एक एम0 एल0 एज0 की मो ांज का फेट बता दिया है और आप समझ चुके है। आपकी चेयर की डिस्ओबे करने की आदत हो गई है। प्लीज आप बैठे। (विध्न) आप अपनी इस आदत को थोड़ा सुधारें। आप एक सीनियर एम0 एल0 ए0 है ओर पालियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर भी रह चुके है। फिर भी आप ऐसा आचरण कर रहे है। आपसे ऐसी अपेक्षा नही की जा सकती आप प्लीट बैठें। (विध्न) आप अपनी इस आदत को थोड़ा सुधारें। आप एक सीननियर एम0 एल0 ए0 ळै और पालियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर भी रह चेके है। फिर भी आप ऐसा आचरण कर रहे है। आपसे ऐसी अपेक्षा नही की सकती, आप प्लीट बैठें। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप प्लीट हाउस को डैकोरम में लाएं (ाोर एवं व्यवधान) आपकी परमि ान के

बिनाजो बोला जा रहा है मेरा निवेदन है कि वह कार्यवाही में नही आना चाहिए।

श्री अध्यक्षः बगैर परमि ान के जो भी बेाला जा रहाहै वह रिकार्ड न कया जाए (ाोर एवं व्यवधान) यह क्वै चन आवर नही है। (विध्न) दलाल साहब आप बैठें। (विध्न) सारे हरियाणा की सड़के बढ़िया बन रही है। और बेरी की सड़क भी बन जाएगी। कादयान साहब, आप बैठें। (ाोर एवं व्यवधान) बगैर परमि ान के जो बाला जाएगा वह रिकार्ड नही होगा। (विध्न) कादयान साहब, आपकी कोई बात रिकार्ड नही होगी इसलिए आप बैठें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, आज विधान सभा के सत्र की अंतिम सीटिग है। (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, पिछले दो दिनों मं हरियाणा के हितों के जरूरी ई ू थे,उन परसदन में चर्चा हुई हैं एस0 वाई0 एल0 पर मुख्यमंत्री जी ने हाउस को वि वास दिलायाल है कि इस बारे में किसी प्रकार की कोताही नही बरती जाएगी और एस0 वाई0एल0 कैनाल कापानी हरियाणा में लाया जाएगा। इसी तरह से ड्राउट पर थोड़ी सी चर्चा हुई उसके बाद राजस्व मंत्री श्री धीरपाल सिंह जी ने बड़े विस्तार से जवाब दे दिया कि किसी भी किसान के साथ किसी प्रकार की भी ज्यादती नही होगी। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इनसे जानना चाहूंगा कि यहां पर दो इम्पोटैंट ई ू डिस्कस हुए लेकिन इसके अलावा एक और ई ू है जो कि हरियाणा स्टेट के लिए

बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय जैसे कि यह सै ान चल रहा है और इसके 6 महीनों के बाद विधान सभा का अगला सत्र आताहै। इन 6 महनों के दौरान जिल लोगों का स्वर्गवास हो जाता है। उनको इस हाउस में श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी प्रकार मै यह कहना चाहता हूं कि इन 6 महीनों में हरियाणा में लाए एंड आर्डर की क्या स्थिति होती है। और जैया कि चर्चा के दौरान यह बताया गया है कि पुलिस के लिए हथियार खरीद रहे है, यह कह रहे है वह कर रहे है। उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज अखबारों में चर्चा होती है इतन मर्डर हो गए, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहाहै।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, ये किस ई ू पर बोल रहे है। ये कस विशय पर बोल रहेहै। ये जो विशय से हट कर बोल रहे है। वह कार्यवाही से निकलवा दी जाएं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मांगे राम जी, आप किस ई ू पर बोल रहे है। आप ई ू से हटकर मत बोले। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत नही देंगे तो मै नही बोलूंगा। मै ला एण्ड आर्डर पर बोल रहा हूं। और यह एक महत्वपूर्ण ई ू है। (ाोर एवं व्यवधान) हरियाणा के लोगों की जान–माल की रक्षा करनासरकार का कर्त्तव्य है और महिलाओं की जीवन की रक्षा

करना भी सरकार की एक महत्वपूर्ण डयूटी है। (ाोर एवं व्यवधान) अगर इस बारे में भी हम सदन में चर्चा नही करेगे तो केसे काम चलेगा। आप यहां पर सड़कों की, पानी की और बिजली की बात करते है। अगर लोगों को सुरक्षा नही होगी तो सड़के, बिजली और पानी किस काम के है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं (ाोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी, आप रैलेवैट बोले (ाोर एवं व्यवधान) अब ये जो कुछ भी बोले उसको रिकार्ड नही किया जाए।

श्री मांगे राम गुप्ताः * * * * * * * * *

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप बैठ जाए आपका कुछ भी रिकार्ड नही हो रहा है। गुप्ता जी, जिस तरीके से ई ा हमारे सामने आए थे यहां पर डिस्कस हुए है। और जो काबिले डिस्क ान नही थे उनको हमने डिसअलाउ कर दिया था। कुछ अलाउ हुए है और कुछ डिसअलाउस हुए है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः * * * * * * * * *

श्रीमती अनिता यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था प्र न है। कि प्र न काल के दौरान माननीय सी0 पी0 एस0 महोदय ने मेरे बारे में कुछ कहा, मैने उस समय भी यह प्वायंट

उठाया था, परन्तु मेरा प्वायंट सुना नही, इनके राज में वह महिलाओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है।

श्रीमती बीना छिब्बरः क्या आप महिलाओं की रक्षा की बात कर रहे है।, आप आपे राज का रिकार्ड उठा कर देखे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सरिता नारायणः आज आप महिलाओं की बात कर हे है जब परसोंसदन में महिला पर अत्याचा की बात हो रही थी तो कह रहे थी तो कह रहे थे कि अगर दोशी होगा तो सजा मिलनी चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः * * * * * * * * *

श्री अध्यक्षः गुप्ता की की कोई बात रिकार्ड नही की जाए। गुप्ता जी, आप बैठ जाए। (ाोर एवं व्यवधान) नही नही, आप सब बैठिए। यह कोइ जीरों आवर नही है।

श्रीमती सरिता नारायणः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इनसे यह कहनाचाहती हूंकि जरा ये अपना पिछला रिकार्ड उठाकर देखे क क्या क्या इन्होने अपने राज में किया था? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आकपी कोई बात रिकार्ड नही हो रही हैं गुप्ता जी, आप बैठ जाए। (ाोर एवं व्यवधान) एफ0 एम0 साहब जी, आप बिल इन्ट्रोडयूस करें। (ाोर एवं व्यवधान)

बैठिए–बैठिए। आप सब बैठ जाएं। बहन जी, आप भी बैठिए। गुप्ता जी, आप बैठें। सरिता जी, बैठिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सरिता नारायणः आज ये महिलाओं की रक्षा की बात कर रहे है। इन्होने सारे दे ा को खा लिया। आपने महिलाओं के लिए क्या किया है? परसों तो आप यहां पर नौटंकी कररहे थे ये तो आपके महिलाओं के प्रति विचार है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन जी, आप बैठिए। (विध्न) कृश्णपाल जी, आप अपनी विधायिका को बिठाएं। (विध्न) गुप्त जी, अब आप किस बात पर बोल रहे है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, मै लॉ एंड आड्डर के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, हम आपकी बातसुन चुके है। अब आप किस सब्जैक्ट पर बोल रहे है। अब तो कुछ ळाी नही है। आप तो वित्त मंत्री रहे हैं इसलिए आप तो सारे प्रीसीजर को जानते है। आप बैठिए।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, * * * * * *

श्री अध्यक्षः अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। गुप्ता जी, आपने तो इस बारे में कुछ भी लिखकर नही दिया है इसलिए

अब आप बैठिए। गुप्ता जी, आपकी कोई भी बात अब रिकार्ड नही हो रही है। इसलि अब आप बैठें।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, मै तो आपकी इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी हमने देखना है आपका कोई भी लिखा हुआ सब्जैक्ट हमं नही मिला है इसलिए आप बैठिए। (विध्न)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, आप एक मिनट के लिए उनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप तो उनको बिठा रहे थे लेकिन अब आप स्वयं ही बोल रहे है। आपको बोलने की किसने परमि ान दी है? आप बगैर परमि ान के बोल रहे है। इसलिए अब आप बैठें। अगर हुडा साहब कुछ कहें तो तो बात जंचे भी। आप बैठ जाए। (विध्न) अब भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री भजन लालः अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * *

दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 2002

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Lokayukta Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Pro. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Lakayukta Bill, 2002

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Lokayukta Bill be taken into consideration at the once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Lokayukta Bill be taken into consideration at once.

श्री भूपेन्द्र सिह हुडा: अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल पर बोलना चहाता हूं। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: ठीक है हुडा साहब, आप बोलिए।

श्री भूपेन्द्र सिह हुडा (किलोई): अध्यक्ष महोदय, आज जो यह विधेयक हाउस में पे ा किया गया हैं इसका मकसद भ्रश्टाचार को खत्म करना है। हम भी यही चाहे है। कि भ्रश्टाचार खत्म हो लेकिन जिस रूप में यह विधेयक आया है वह आब्जैक ानेबल है। इसमें कई ऐसे प्रोविजन किए गए है जिनसे भ्रश्टाचार खत्म होने वाला नही है। इनसे तो भ्रश्टाचार और फैलेगा एवं ताना ाही बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल में कई ऐसे क्लॉज है जो आब्जैक ानेबल है। लेकिन मै खासतोर से आपका ध्यान इस बिल की सैक ान 2—डी जो कम्पीटैंट अथोरिटी से संबंधित है, की तरफ ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की क्लॉज किसी भी लोकायुक्त बिल में नही है चाहे आप पंजाब राज्य का ही लोकायुक्त बिल मंगाकर देख लें। कम्पीटैन्ट अथोरिटी में लिखा है कि—

"Competent authory" in relation to a complaint against

(i) Cheif Minister : The Governor in his discretion.

(ii) All other public Servants: Chief Minister"

जब कम्पलैन्ट देनी है। पब्लिक सर्वेन्अस की क्या डैफिने ान है? पब्लिक सर्वेन्टस की डैफिने ान में पब्लिक सर्वेन्टस ये–ये है–

(i) Chief Minster;

(ii) A Minister;

(iii) A Member of the Legislative Assembly of Haryana including the Speaker and the Deputy Speaker of Haryana Legislative Assembly;

(iv) A chairman, cive-Chairman or member of the Board of Directors, by whatever name called, of a Government Company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fify one per cent of the paid up share capital is helf by the State Government;

(v) A Chairman, ViceoChairman or member, by whatever nem called, of any statutory or non-statutory body incorportated, registered or constituted by the State Government;

(vi) A Mayor, Senior Deputy Mayor, Deputy Mayour of a Municial corporation constituted or deemed to have been

constitued by or under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994;

(vii) A President, Vice President of a Municipal committee or Municipal Council constitured or deemed to have been constituted by or under the Haryana Municiipal Act, 1973;

(viii) A President, Vice President of a Zila Parishad and a Chiarman, vice Chairman of a Panchayat Samiti constituted by or under the Haryana Panchayati Raj Act, 1994;

(ix) A President of Vice President of anymanaging committee of a society incorporated or registereed under the law relating to cooperative societies for the time being in force;

(x) A President, Vice President, Managing Director of the Board of Directors of such other coopertive societies incorporated or registered by or under law relating to cooperative societies for the time being in force;

(xi) A vice Chancellor or a Pro Vice-Chancellor or REgistrar of a University;"

ये सभी कमेटीज के मैम्बर्ज हैं अब अगर चीफ मिनिस्टर कम्पीटैन्ट अथोरिटी होगे तो उनकी पाटी के एम0 एल0 एज0 भी होगे तो क्या वे अपनी पार्टी के वाइस प्रेजीडैन्ट भी होगे एवं प्रैजीडैन्ट, म्यूनिसिपल कमेटीज के भी होगे तो क्या वे अपनी पार्टी के लोगो के खिलाफ कोर्ठ कम्पलैन्ट दे सकेगे? इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आब्जैक ानेबल है। अध्यक्ष महोदय,

आप पंजाब राज्य का ही लोकायुक्त बिल उठाकर देखे। उसमें कम्पीटैन्ट अथोरिटी जो है "In relation to a complaint against a public servant menas' "The Governor" गवर्नर के सिवाये कोई और कम्पीटैन्ट अथोरिटी नही होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, पंजाब का लोकायुक्त बिल भी मैने पढ़ा है। इसलिए मै कह रहा हूं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस बिल की सैक ान 3 जो मोड ऑफ अप्वायमैन्ट के बारे में है, देखें प्रोवाइजों में लिखा है:–

"Provident that the Lokayukta shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of Opposition and the Chief Justice of India in Case of appointment....."

इसके आलावा सैक ान 3 के प्रोवाइजों में ये भी लिखा है कि–00

"Provided further that the result of consultation shall have persuaive value but not binding on the Chief Minister."

ये दोनो प्रोवाइजों डिलीट होने चाहिएं। क्लाज 2 की सब क्लाज डी मे केवल कम्पीटैंट अथोरिटी in relation to a complanit against public servant menas "The Governor" गवर्नर के सिवाय कोई और कम्पीटैंट अथोरिटी नही होनी चाहिए क्योंकि परस्यूएसिव वैल्यू एंड कंसलटे ान के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सात जजों का फैसला है।

यह अल्ट्रावायरस उस जजमैंट के है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट में उनहोने कंसल्टे ान को डिफैड किया है। 1993 की जजमैंट में है– consultation should be in wrting, consultation should be affective और किसी जज का अपोइंटमैंट करना है तो चीफ जस्टिस से जो कंसल्टे ान हेागी या उसकी ऐडवाइस होगी, वह बाइंडिंग होगी इव वास्ते इसको डिलीट करना चाहिए क्येाक इस बिल में तेा लिखा है कि कंसल्टें ान बाइंडिग नही होगी। ओर आप सैक ान 3(2) को भी देखे जिस में लिखा कि–

"A mptofocatopm nu tje State Government about the consultation havingbeen helf as envisaged in sub-section (1) shall be conclusive proof thereof."

It means consultation नही, यह तो इन्फर्मे ान मात्र हो गया। आप किसी को इनफार्म करेगे वही प्रूफ माना जाएगा, यह अच्छा नही है। यह तो और भी ज्यादा ताना ााही ताकतें और मनमर्जी करने वाली बातें है। उसके बाद आप सैक ान 15 देखे, इसमें सर्च, इससेसर्च औरसीजर की पॅावर्ज दे रखी है। ये बिल्कुल नैयुरल जस्टिस के अर्गेस्ट हैं इसकी सक क्लॉज (1) का b(i) देखे जिसमें लिखा है। कि–

"Break oepn the lock of any door, box, locker,sate almirat or other receptacle for exersising the power, conferred by sub-clause

(i) where the keys therof are not available"

इसमें इस प्रकार की कोई प्रोविजन नही है तीसरा सर्च का भी समय होना चाहिएं Search shuld be always after the sun rise and befire the sun set. वह भी प्रोविजन नही हैं उसके बाद आप सैक ान 16 का प्रोवइजों देखे इसमें लिखा है–

"Provided that not court shall take cognizance of an offence punishable under this section except on a complaint made by or under the suthority of the Lokayukta."

जिस आदमी के खिलाफ कंप्लैट है। जो एग्रीब्ड है उसे भी तो डिफैंड करने का अधिकारहोना चाहिए। जिस एग्रीब्ड पार्टी के खिलाफ कंप्लेट दी हैं और उसकी सजा हेाती है तो उस सजा को डिफैंड करने ` लिए उसे कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए जो कि इस बिल में नही दिया है। ऐलीगे ान सिद्ध करने की जिम्मेदारी ि ाकायतकर्ता की होती है, यह प्रोवीजन इसमें नही है। ि ाकायत की कॉपी सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाए वह इसमें प्रोविजन इसमें नही हैं ि ाकायत की कॉपी सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाए वह इसमें प्रोविजन नही है रूल्स ऑफ नैचुरल जस्टिस में यह भी प्रौवाइड नही है। इस प्रकार से बहुत सारी प्रोविजन है। जो भ्रश्टाचार को बढ़ाया देगी इसलिए मेरा अप सबसे निवेदन है कि यह बिल पहले भी दो बार महामहिम राश्ट्रपति महोदय के पास से वापस आ चुका है। अगर इसे हम पास करके भेजेगे तो राश्ट्रपति महोदय फिर इसे वापस भेजेगे क्येांक यह सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिग के भी अर्गेस्ट है जिस स्पिरिट से लोकायुक्त की नियुक्ति हो रही है वह स्पिरिट इसमें नही है इसमें नही है इससे

और भ्रश्टाचार फैलेगा। मेरा आपसे यह अनुराध है कि यह बड़ा सैसिटिव मामले है इसको र ा थ्रू न किया जाए, सबसको समय दिया जाये। इसे सलैक्ट कमेटी को रैफर किया जाए और विधान सभा के सभी सदस्य इसबात को गंभीरता से सोचे इसको फॉल्टलैसबनाएं और जिस मकसद के लिए यह बनाया जा रहा है, लोकायुक्त की नियुक्ति की जा रही है। इस तरह की नियुक्ति की गई तेा लोकायुक्त का इंस्टीच्यू ान जैसे आपने सुना होगा इंग्लैड में चैम्बर ऑफ स्टार्स है वही परिस्थितियों यहां पैदा हो जाएंगी। जो मर्जी आप कर लो, जिसको मर्जी बचा लो इसमें किसी की सुरक्षा नही है भ्रश्टाचार का फैलाव और ज्यादा होगा। सोर साथियों से आग्रहै कि इसको सलैक्ट कमेटी का रैफर किया जाए उसके बाद यह बिल इंट्रोडयूस किया जाए।

चौधरी बंसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मै लोकायुक्त बिल के तो बहुत हम में हूं, आना चाहिए लेकिन यह जिस भाक्ल में लाया गया है इसके मायने कुछ नही रहे। इस बिल को इस बिल में ही रिडन्डैंट कर दिया है। कंपिटैंट अथौरिटी के बारे में सैक ान 2(डी०) में लिखा है कि–

"Competent authory" in relation to a complaint against

(i) Cheif Minister : The Governor in his discretion.

(ii) All other public Servants: Chief Minister"

यानी जो कंप्लेट्स मुख्यमंत्री के खिलाफ होगीवह गवर्नर साहब के पास जायेगी।बाकी किसी के खिला

फ होगी तो वह मुख्यमंत्री को जायेगी। आमतौर से ऐसा होता है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री में तालमल हेाता है। यह ठीक है, हय तो ठीकहै। गवर्नर साहब, सी0 एम0 के अंगेस्ट जो कंपलेंट होगी उसको खत्म कर देंगे ओर चीफ मिनिस्टर के अण्डर सारे मिनिस्टर और अधिकारी है, हय क्यों करेगे। यह जो अख्तियार इस बिल में आज दिये जा रहे है ये सारे अख्तियार मुख्यमंत्री जी को दिये जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को तो ये अख्तियार आज भी सारे हैं यह बिल अगर पास न किया जाये तो भी मुख्यमंत्री जी को तो ये अख्तियार आज भी सारे हैं। यह बिल अगर पास न किया जाये तो भी मुख्यमंत्री जी कोई भी इंक्वायरी किसी ढंग से करवासकते है। ये सब अख्तियार उनको आज भी है। Cometetn Authority must be the Governor इसमें Chief Minister Competent Authrotiy नही होनी चाहिए। फिर भी जो इसी के सैक ान 2(k) में लिखा है–

"Minister" means a member of the Council of Ministers, other than the Chief Minister....."

इसमें other then Chief Minister काटकर और Minister menas Chief Minister, Cabinet Minister, State Minister, Deputy Minister and Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secreatary everybody should be included in that because now, whatever has been said in this Bill that

says all the such complaints will go to the Chief Minister चीफ मिनिस्टर को तो आज भी जाती है, जा भी सकती है कोई रूकावट नही हैं इसका कोई मतल ब नही रहेगा इसबिल को पास करने का और इसी के सैक ान 2 (m) में लिखा है–

"Public Servant" includes a person defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860 and also means a person, who is or has been—

(i) Chief Minster,

(ii) A Minister"

यहां चीफ मिनिस्अर काटकर, मिनिस्टर कर दिया जाये (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) और मिनिस्अर की डैफिने ान जो ऊपर दी गई उसी में चीफ मिनिस्टर भी आ जाये इसको अलग से नही करना चाहिये और फिर इसमें सैक ान (3) (1) में उपाध्यक्ष महोदय, क्या आया है। इसमें यह लिखा दिया है कि–

"For the purpose of conducting investigations in accordance with the provision of this act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokayukta."

आगे प्रोवाईजों में लिखा है–

"Provided that the Lokayukta shll be appointed on the adice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of Opposition and

Chief Justice of Indian in case of appointment of a person who is or has been a Judge of the Supremen Court of Chief Justice of the High Court, and Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court in case of appointment of a person who is or has been a judge of a High Court."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आगे लिखा है–

"provided further that the....."(Interruptin)

श्री भगवान सहाय रावतः उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्ये से चौधीर बंसी लाल जी से इस प्र न के बारे में एक बात स्पश्ट करना चाहूंगा कि अभी–अभी इन्होने काह कि मुख्यमंत्री जी के बारे में सक्षम अधिकारी गवर्नर है ओर दूसरी बार कह रहे है कि गवर्नर को बनाया जाये ओर कहा है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री में आपस में रिले ान एक जैसे हेाने चाहिये ओर सूरी स्टेटमैंट में कहा कि जो मुख्यमंत्री के विरूद्ध ि ाकायत आती है तो उसको गवर्नर साहब देखेगे और दूसरे में गवर्नर का रिकमैंट कर`रहै ये किसको सही मानेगे कृपया बताये।

चौधरी बंसी लालः मै दोनों ही ठीक कर रहा हूं कोई गलत नही है। "Provided further that the result of consultatin shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

इसी सैक ान 3 की सब सैक ान 2 लिखा है।

''A noticfiacation by theState Government about the consultation having been held as envisaged in sub-section (1) shall be conclusive proof thereof" इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को कंसल्ट कर लें मुख्यमंत्री लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर यह बात बाईडिंग नही होगी। लेकिन में कहताहूं कि consultation must be binding हमने जो बिल बनाया था, पास किया था उसमें कंसल्टे ान में यह कंडी ान यह कंडी ान नही थी कि that will have only persuasive power मुख्यमंत्री जी किसी थर्ड आदमी का नाम लिख देगे कि मैने इनको कंसल्ट कर लिया। कंसलट करने का क्या मतलब हुआ यह जो चीहै यह बिल्कुल ही सोर मामले को बिल्कुल साफ कर देती है कि कौन आदमी लोकायुक्त बनेगाऔर उपाध्यक्ष महोदय सैक ान 6 के हैडिंग मैं लोकायुक्त की डैफिने ान दी गई है कि "The term of office and other conditions of Lokayukta" बाकी कंडी ांज तो ठीक है। लेकन इसमें लोकायुक्त की ऐज लिमिट कोई नही है, ऐज लिमिट बहुत जरूरी है,सप्रीम कोर्ट मे ंभी ऐज लिमिट है, हाई कोर्ट में भी ऐज लिमिट बहुत जरूरी है, सप्रीम कोर्ट में भी ऐज लिमिट है, हाई कोर्ट में में भी ऐज लिमिट है, सी0 बी0 सी0 में भी ऐज लिमिट है इसलिए यह रेज लिमिट होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः बंसी लाल जी, कोई सुझाव भी दे देना।

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, 70 साल कार दो, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनता है तो 65 साल में वह रिटायर

हाता है तो उसकी ऐंज 70 कर दो। इसी तरह हाई कोट का जज 62 साल में रिटायर होतहै तो उसकी भी 70 साल कर कर दो।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी बंसी लाल,क्या नीये की ऐज सजैस्ट नही करेगै? जैसे एम0 पी0 के लिए कितन ऐंज होनी चाहिए।

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, ऐज का होना जरूरी है। सैक ान 8 में यह लिखा है–

"8(1) Subject to the provision of this act, the Lokayukta may on receipt of a reference from Government proceed to inquire into the allegations or the grivances made against a public servant."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह होना चाहिए, यह जो Subject to the provision of this act, the Lokayukita may on receipt of reference from Government' दिया है। इसके 'suo moto' साथ साथ भाब्द होना चाहिए अगर उसको सुओं मोटो अख्तियार न देगे तो गवर्नमैंट जो रैफरैंस करेगी उसकी की इन्कवायरी करवाएंग, और कया करेगे। गवर्नमैंट आज इन्कवायरी अपनी किसी भी एजैन्सी से करा ले। हमने जो बिल पास किया उसमें सुओं मोटों वर्ड है। अगर हम लोकायुक्त को यह अख्तियार नही देगे तो वह क्या करेगा, वह अपंग रहेगा, उसके क्या अख्तियार हेागे। गवर्नमैंट रैफरैस करेगी, गवर्नमंट तो आज कुछ कर ले इसलिए इसमें यह लकूना है। सैक ान 9 में कों लिमिट

मुकर्रर नही की गई कि पीछे कितने सालों तक की घटनाओं की इन्कवायरी हो सकती है। Limitation is always there is every case. so, limitation should be here also. We did it and we did it withthe full consent of the House. हमने यह किया था।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): बंसी लाल जी, जब आपने यह बिल पास कियाथा तब तो हाउस था ही नही। हत तो निकाल रखे थे। (ाोर एवं व्यवधान) एक भी नही छोडा था, ये भी निकाल रखे थे। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, ये भाग गऐ होगे।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: बंसी लाल जी, हम निकाले गऐ थे, आपकी पुरानी आदत है, बरदा ात तो आप करते नही।

Ch. Bansi Lal: In sub-section (3) of Section 12, it is mentioned—

"Every enquiry under the Act shall, unless the Lokayuktar for reasons to the recorded in writting determines otherwise, be conducted in camera."

इसमें 'reasons to the recorded' की जगह 'reasons to be recrded होना चाहिए। हर जगह इसमें कम्पीटैंट अथोरिटी आता है, सैक ान 17 की सब–सैक ान 2 में लिख है–

''(2) The Competent authority shall cause the report to the examined and communicate to the Lokayukta within

three months of the date of receipt of the report, the action taken thereon."

डैफीने ान में कम्पीटैंट अथोरिटी must be the Governor गवर्नर के सिवाय कोई दूसरा आदमी कम्पीटैंट अथोरिटी डैफीने ान में नही आना चाहिए। तभी श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, लीडर आफ दि अपोजी ान ने जो कहा कि बिल सिलैक्ट कमेटी को जाना चाहिए, इस र ा थ्रू करने की जरूरी नही हैं इसको सिलैक्ट कमेटी को भेज दो और अगले सैं ान में पास कर दो मेरा भी यह सुझाव है।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की बहुत दिनों से चर्चा थी कि ऐसा बिल आना चाहिए और सियासी लोगों तथा दूसरे बड़े लोगों के खिलाफ कोई लगाम लगनी चाहिए, बड़ी अच्दी बात है, यह जो बिल क्लाज बाय क्लाज आया है इसके बारे में हुड्डा साहब और चौधरी बंसी लाल जी ने सारी बातें रखी। इससे तो बजाय क्रप्शन पर लगाम लगने के क्र ान की छूट हो जाएगी जिसको मुख्य मंत्री जी चाहेगे उसे खिलाफ कोई कार्यवाही नही होगी और जिस पर मुख्यमंत्री जी की नजर सख्त होगी उसको बांधकर रख देगे। (ोर एवं व्यवधानप) उपाध्यक्ष महोदय, बिल आना चाहिए लेकिन इस तरह नही आना चाहिए। यह बाकयदासिलैक्ट कमेटीको जाना चाहिए और इस पर दोबारा से विचारहो। चीफ मिनिस्ट भी गवर्नर के अंडर हो और बाकी के लोग भी गवर्नर के अंडर हो। ऐसा नही होना चाहिए कि

चीफ मिनिस्टर की इन्क्वायरी गवर्नर के अंडर हो और बाकी के लोगों की चीफ मिनिस्टर इन्क्वयारी करेगे। यह बिल्कुल भी इन्साफ की बात नहीहै इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस बिल को पास न किया जाये और इसे सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाए तथा इसे अगले सैक ान में लाया जाये।

श्री कृश्णपाल गुज्जर (मेवाला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह लोकायुक्त बिल संदन के सम्मुख लाया गया है उस पर मुझ से पहले सभी वरिश्ठ नेताओं ने, पूर्व मुख्य मंत्रियों में अपनी सलाह दी है।

श्री उपाध्यक्षः मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि जो भी सदस्य इस बिल परबोले वह उन सदस्यों की बातें न दोहराये जो पहले बोल चुके है।

श्री कृश्णपाल गुर्जरः उपाध्यक्ष महोदय, मै लोकायुक्त बिल का समर्थन करता हूं लेकिन इसमें जो कमियों है मुझे से पहले वरिश्ठ नेताओं ने बताई है मै उन्हें दोबारा नही दोहराउंगा क्येांकि इससे हाउस कासमय बरबाद होगा। मै यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में मुख्य मंत्री जी को सक्षम अध्किारी राा गया है यह लोकतंत्र के लिए ठीक नही है कि मंत्रियेां की, विधायकों की, चेयरमैनों की, नगरपरिशदों के चेयरमैनों की, ब्लाक समिति के अध्यक्षों की, जिला परिशद के चेयरमैनों की, महापोर की, उप

महापौर की, वरिश्ठ महापौर की इन्क्वायरी मुख्यमंत्री जी करेगे। यह एक तरह से सत्ता का केन्द्रीयकरण होगा, भय का वातावरण होगा इसलिए सभी कइ इन्क्वायरी बजाय मुख्यमंत्री के गवर्नर करें। यह बिल जानबूझकर इसलिए लाया गयाहै कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हावी रहे औरयही इस बिल की सबसे बड़ी कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि कोई भी ि ाकायत मुख्यमंत्री जी के पास जाने के बजाये सीधे लोकपाल या लोकायुक्त को जानी चाहिए। मेरा अगला सुझाव है कि इस बिल का जल्दबाजी मे ंपास न किया जाये। यदि इसे जल्द बाजी में इसी तरह पास किया गया तो यह बिल बजाय अच्छे बिल के काला बिल हो जायेगा और लोगों की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, वह इस बिल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को चला जायेगा। इस बिल से लोकतंत्र पर अच्छा असर नही पड़ेगा और जो लोकतंत्र के रखवाले है उनकी भूमिका बंद हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अंत में मरेा यह निवेदन है कि इसबिल को आज पोस्टपोन कियाजाये, इसे जल्दबाजी में पास न किया जाये और इसको सिलैक्ट कमेटी को भेज जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) उपाध्यक्ष महोदय, जो यह लोकायुक्त बिल मुख्यमंत्री जी लाये है। इस पर सदन के सभी वरिश्ठ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त यि हैं उपाध्यक्ष महोदय, मै भी आपे माध्यम से इस बिल परअपने विचार ररखना चहाता हूं कि

पिछले कुछ वर्शो में दो ही बातें देखेन को आई है, एक तो सत्ता का केन्द्रीयकरण कैसे हो, पूरे प्रदे ा की सत्ता एक परिवार सा एक आदमी के हाथ में कैसे आये।

श्री उपाध्यक्षः दलाल सहाब आप बिल से बाहर की बात न करना ताकि मुझे आपको बीच में रोकना न पड़ें।

श्री कर्ण सिह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कि व्यापार का ग्लोबलाईजे ान कैसे किया जाए। इस बिल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सभी मिनिस्टर्ज, एम0 एल0 एज0 अधिकारी, पंचायतें, जिला परिशदों की ि ाकायते अपने अधिकार क्षेत्र में रख ली।

श्री उपाध्यक्षः दलाल साहब, जो बात कहें उनकी रैपिटी ान न हो और जैसा आपके पूर्ववक्ताओं ने सुझाव रखे हैं आप भी उसी तरह से अपने सुझाव रखें।

श्री कर्ण सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर साहब, मै कोई रैपिटी ान नही करूंगा और न मै कोठ गलत बात कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह भी समझनी चाहिए जहां तक मंत्री या मुख्यमंत्री का सवाल है, हरियाणा में there is only one Minister and that is Cheif Minister बाकी मत्रियों की हरियाणा के अन्दर कोई हैसियल नही होती।

श्री उपाध्यक्षः जब आप मंत्री थे तो उस वक्त आपकी क्या हैसियत होती थी, वह भी आप बता दें।

श्री कर्ण सिंह दलालः मै इसमें अपने आप को भाामिल करके कह रहा हूं। मेरा यह अनुभव हळ तभी तो मै यह कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप संवैधानिक पद पर बैठे है। मै अपने मुंह से यह बात नही कह रहा। जो रूल्ज ऑफ प्रोसिजर है जिससे गवर्नमैंट का बिजनेस ट्रांसजैक्ट करने के लिए इसमं इन्होने सं ाोधन किया। इसमें क्या सं ाोधन है। मिनिस्टर को कोई भी पूर्ण अधिकार नही दिया गया। मिनिस्टर का हर काम चीफ मिनिस्टर की हां पर डिपेण्ड करताहै और जिन्होने इस बिल में मंत्रियों का दजा अलग रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री यह बताएं कि जब किसी भी मिनिस्टर का अपने महकमें में निश्पक्ष और अपने अधिकार से, अपने विवेक से फैसले लेने के अधिकार ही नही है तो फिर मंत्री और मुख्यमंत्री जी को अलग कैसे कर सकते है।

श्री उपाध्यक्षः दलाल सहाअ, यह लोकायुक्त बिल है। आप लोकायुक्त बिल पर क्लाज बाई क्लाज बोले। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो वे आप दें।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मै यह बता रहा हूं कि इन्होने जो प्रस्ताव रख है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई ि ाकायत है तो उसकी इजाजत गवर्नर महोदय देगे और

अगर पब्लिक सर्वेन्ट है तो उनकी इजाजत चीफ मिनिस्टर देगा। अगर मिनिस्टर के खिलाफ मान लीजिए एक ि ाकायत आती है तो उसकी इजाजत चीफ मिनिस्टर देगा। मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टर का फैसला अपने आप में कभी नही नही होता, बेक ाक आप सरार कारूल ऑफ बिजनेस मंगा लीजिए, उसमें चीफ मिनिस्टर की मंजूरी होती है, कायदा कानून लिखाहेाता है। चौधीरसम्पत सिंह जी, चौधरी धीरपाल सिंह जी और दूसरे जो मंत्री रहे है, वे सब इस बात का जातन है। जिस कर्म का स्वयं चीफ मिनिस्टर की मंजूरी होती है, कायदा कानून लिखा हाता है। चौधरी सम्पत सिह जी, चौधरी धीरपाल सिंह ज और दूसरे जो मंत्री रहे है, वे सब इसबात को जानते है ंजिस कर्म को सव्यं चीफ मिनिस्टर करता है। तो उसकों मंत्री से डिफरेट नही किया जा सकात। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि पब्लिक सर्वेन्ट की डैफिने ान में जहां मंत्री रहे हो उनकी चर्चा आती है, उसमें मुख्यमंत्री अलग नही है, इसलिए उसकी इजाजत मुख्यमंत्री कैसे दे सकता है। यादिन खुद मुख्यमंत्री ज उसम ंत्री के कामों में सम्मिलित है और मुख्य मुख्यमंत्री ही उसके खिलाफ इजाजत देगे तो यह बात इसमें जंची नही। डिप्टी स्पीकर साहब, आप गवर्नमैंट के रूल आफ बिजनेस को मंगा कर देख लीजिए अगर मै गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे फिर कहे। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में इन्होने लोकायुक्त की नियुक्ति का तरीका रखा है। इसमें इन्होने कहा है कि–

"Provided that the Lokayukta shall be appointed on the advice of the Chief Minster who shall consult the Speaerk of Haryana Legislative Assembly, Leader of Opposition and the Chief Justice of India in case of appointment of person who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of the High Court, and Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court in case of appointment of a person who is or has been a Judge of High Court.

और उसमें इन्होने यह कह दिया कि यह बाइन्डिंग नहेी होगा। यह मै रिपीट कर रहा हूं। मै यह रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि यह बाइन्डिंग का एक तरीका हो सकता है। इसका तरीका यह ा सकता है कि ये 3–4 व्यक्तियेां के नाम इसमें रख है जेा इस पर चर्चा करतेगे कि प्रदे ा का लोकायुक्त कौन हो। उपाध्यक्ष महोदय, ये इसमें प्रावधान कर दें कि लीडर ऑफ अपोजी ान अलग से नाम दें, स्पीकरअलग से नाम दें और चीफ जस्टिस अलग सेनाम दें। ये सभी अपने–अपने नाम मुख्यमंत्री महोदय को दे दें। वे सारे के सारे नाम वहां भेद दे जिस जगह से लोकायुक्त की नियुक्ति गरवानी हैं अगर हाईकोर्ट से लेना है तो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को वे नाम भेज दे अगर सुप्रीम कोर्ट से लेना है तो चीफ जस्टिस सुप्रीमकोर्ट को वेसारे नाम भेज दें।

श्री उपाध्यक्षः दलाल साहब, ये सारी बातें हुड्डा साहब से डिस्कस की है। ये सभी बातें पहले आ चुकी है। यदिआपके पास कोई नई बात है तो वह कहें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अब मै आपकों नई बात बताता हूं। आज उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियेां के लिए, पब्लिक सर्वेन्ट साईड में लिखा गया है उस बारे में मै आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज ये ओम प्रका ा चौटाला नही है। आज ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है। यह एक संवैधानिक पद हैं पद की एक मर्यादा होती है और इस पद पर बैठने के बाद सरकार में कर्मचारियों के, प्रदे ा में विपक्ष के लोगों और हर राजनीतिक पार्टियोंसे बात करके उनसे काम लेने का एक तरीका हेाता है। उनकी भी एक जिम्मेवारी होगती है। अब इसमें इन्होने सारे कर्मचारियों को रख दिया है। कल को उपाध्यक्ष महोदय, इनके गलत कामों के लिए कर्मचारी मना करता है तो वह अधिकार इन्होने सारे कर्मचारियेां को रख दिया है। कल को उपाध्यक्ष महोदय, इनके गलत कामों के लिए कर्मचारी मना करता है। तो वह अधिकार इन्होने अपने पास रखे हुए है, तो एक मिनट में दरख्वास्त अपने ही आदमियों से मांग कर उस आदमी के खिलाफ भेज देगे, लोकायुक्त को तो क्या कर्मचारी इस बिल के आने के बाद, इस सरकार की मं ाा के खिलाफ काम करने की हिम्मत कर सकेगे। जो 73–वी/74–वी अमैडमेंटस पंचायत और नगरपालिकाओं के एक्ट में किया था। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों विधान सीाा में एक बयान दिया, अखबार में ब्यान दिया कि तमाम हरियाणा की नगरपालिकाएं, तमाम हरियाणा की जिला परिशदें और ब्लाक्स में यानी तमाम के तमाम आई0 एन0 एल0 डी0 के पदाधिकारी है और इनके अपने दल के लेाग बने है। उपाध्यक्ष

महोदय, उनके खिलाफ भी इन्होने अपने पास अधिकार रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, कल को नगर परिशदों में, नगरपालिकाओं में, ब्लाक समितियों में या पंचायतों में सरकार के खिलाफ कोई बात करेगे, लोगों की बात रखना चाहेगे, इनकी पार्टी की ज्यादतियो के खिलाफ कोई बात होगी तो उनको भी नाजायज तौर पर ये तंग करेगे।

श्री कर्ण सिंह दलला: उपाध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, अब आप बैठे। (विध्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें (विध्न) जय प्रका ा जी की डिक्टे ानपपर मै कों जवाब नही दूंगा। (विध्न)

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने हरियाणा लोकायुक्त विधेयक पर सम्मानित सदन में चर्चा हो रही है प्रजातान्त्रितक व्यवस्ाि में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है। मै आज की सरकार के मुखिया और आज की वर्तमान सरकार को इसबात के लिए बधाई देना चाहूंगा। मै इस विधेयक के समर्थन में बेालने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल में पारद िता और मुख्य मंत्री जी ने स्वय अपने आपकों सम्मिलित कर के प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस प्रजातन्त्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है और जनता सर्वोपरि होने का परिणाम यह है कि यहां पर बहुमत के आधार पर मुख्यम ंत्री का निवार्चचन

हेाता हैं जनता का प्रतिनिधित्य मुख्यम ंत्री करत ेहैं निि चत रूप से प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद संवैधानिक होताहै लेकिन मुख्य मंत्री का पद है वह जनता का सही प्रतिनिधित्व करता है। उनहोने अपनी सहमति से खुद को भाामिल करके प्रजातंत्र के उस आद र्वाद को बढ़ाया है जिस पर चौधरी देवी लाल जी की सरकार चल रही थी हमारी वर्तमान सरकार चौधरी देवी लाल के उसी आद र्वाद परचल रही है जिसमें यह माना जाता है कि लोक राज लोक लाजसे चलता हैं मै समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से वह आद र् सही चरितार्थ हुआहै। मेरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बंसी लाल जी ने इस परअपना मन्तव्य जाहिर किया था उस वक्त भी मैने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से यह बात कहनी चाही थी। जब वे अपनी बात कह रहे थे तो कह रहे थे कि जनरली ऐसा होता है कि गवर्नर अथवा राज्यपाल महोदय और मुख्य मंत्री के रिले ान्ज ऐसे होते है कि वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं मुझे लगता है भाायद उन्हें आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी का 19812 का उद्धरणयाद आ रहा होगा। लेकिन मै समझता हूं कि इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री जनप्रतिनिधि है इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में उनको उच्च सम्मान प्राप्त होता है। जिस तरह से चौधरी बंसी लाल जी को भांक हो रहा है वे कौन सी परिपार्टी को स्वीकार करना चाहेगे इसका कोई सुझाव उन्होने नही दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यम मंत्री एक उच्च संवैधानिक पद है उसकी ि ाकायत

करने की इजाजत कर व्यक्ति को नही दी जा सकती इसको स्वयं गवर्नरसहाब देखे इसकी व्यवस्था इस बिल में की गइ है। जहां तक पिछले बिल में रखा गया था उस में सं ाोधन करके धारा 16 को जोड़ कर कर उसकी और वृद्धि की गई है। (विध्न) ि ाकायत के लिए दएण्ड की व्यवस्था की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको यहां पर चैक किया गया है अगर कोई झूठी ि ाकायत करेगा इस अधिनियम के तहत अगर कोई जानबूझकर , विद्वेशपूर्वक झूठी ि ाकायत करता है तो दोशी सिद्ध हेाने पर 3 वर्श की अवधि तक उसे कठोर करावास हो सकती है। और 10 हजार रूपया तक जुर्माना हो सकताहै। जोउसे प्रतिकार के रूप में उसको भुगतान की जाएगी। यादिन केवल इस बात को हतोत्साहित ही नही किया गया है बल्कि कानून रूप दिया गया ताकि कोई अनाव यक रूप झूठी ि ाकायत न करें। (विध्न) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय इस सामाजिक व्यवस्था की अच्छी व्याख्या करते हुए इसे परिभाशित करते हुए कहा था जनता के द्वारा जनत के लिए, जनता की चुनी हुई जो सरकार होती है वह सर्वोपारि होती है।

श्री उपाध्यक्षः रावत साहब, आप अपना सुझाव दें (ाोर एवं व्यवधान) बंसी लाल जी आप बैठ जाएं रावत जी बोल रहे है। रावत जी, आप क्लाज बाय क्लाज बोले। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री भगवान सहाय रावतः उपाध्यक्ष महोदय, मै अपनी बुद्धि के अनुसार इस पर सुझाव भी दूंगा और उस परव्यख्या करना अपना अधिकार समझता हूं। (ाोर एवं व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष

महोदय, माननीय सदस्य साथी अपने विचार स्वयं रख सकते है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहता हूं कि ये प्वायंट पर ही बोले। अगर ये स्पीच करेगे तो मै भी बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठे। आपको बोलने का समय दिया जा चुका है। (ाोर एवं व्यवधान) आपको बोलने को समय दिया जा चुका है। अब आप यह बात नही कर सकते है। (ाोर एवं व्यवधान) चौधरी बंसी लाल जी, आपके बिना कहे ही जो बत मुझे ठीक नही लगी मैने उनको उसके लिए टोका है। आपके कहने से मै किसी को नही टोकूंगा। मुझे खुद को जो गल लगेगा उसके लिए ही कहूंगा।

श्री भगवान सहाय रावतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैने व्यवस्था के प्र न की बात कही थी। मै उसको दोबारा से दोहरा रहा हूं। उन्होने दो कंट्रडिक्टरी ब्यान यहां पर दिए थे। मै अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूं कि गवर्नर को अगर सक्षम मान रहे हो तो क्यों मुख्यमंत्री और गवर्नर के आपस में ताल्लुकात होने के आधार पर मुख्यमंत्री की ि ाकायत नही सुन सकेगा। ये बाद में गवर्नर को अधिकार देने की बात कर रहे थे। ये तो एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे है और जबकि मै तो दूसरी बात विधायक चुन कर आया हूं। इस प्रजातन्त्र कासारा स्वरूप चौधरी बंसी लाल के राज

का में 1972 में जान गया हूं इसलि मै बड़ी सोच करबात कह रहा हूं और हरियाणा लोकायुक्त बिल के समर्थन मे बोल रहा हूं। मै दोबारा से एक बात कहकर अपनी बात औरवाणी को विराम देना चाहूंगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मनुश्य जो है, व्यक्ति जो है वह प्रथम इकाई होता है। इस सारी व्यवस्थ को सुदृढ़ करने ` लिए व्यक्ति को आचरण की जरूरत हैं उसमें चाहे काई मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो या मंत्री और विधायक ही क्यों न हो। इसलिए आगर सुसंस्कृति और संस्कार रहित व्यक्ति होगातोउसके किसी उच्च पद पर होने के बावजूद भी उससे कोई अपेक्ष नही की जासकी है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री जनता का प्रथम सेवक होत है और उसकी जो भी व्यस्था की गई हैं इसमे ंद्वेश की भावना नही है। इस बिल में पारद ि ता का स्वरूप प्रदान किया गया है। मै इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

(इस समय राव इन्द्रजीत सिह और श्री जगजीत सिह सांगवान बोलने के लिए खड़े हो गये।)

श्री उपाध्यक्षः राव इन्द्रजीत सिंह, आप बैठिए। (ाोर एवं व्यवधान) जय प्रका ा जी, बैठिए। आप सब बैठिए। (ाोर एवं व्यवधान) अगर आपकी पार्टी के 3–3 मैम्बर्ज बोलने के लिए खड़े होगे तो कैसे काम चलेगा। (ाोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह सांगवान जी, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (दादरी): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट के राज्यसभा में और लोक सभा में मैमबर्ज है उनको भी इसमें इन्कल्यूड किया जाए।

प्रो0 सम्पत सिहः उनके लिए पालियामैंट में अलग से एक्ट हैं

श्री उपाध्यक्षः आप इस बारे में अलग से सुझाव देना। इसके अलावा आपका कोई ओर प्वायंट है तो बता दें।

श्री जगजीत सिंह सांगवानः उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो मै बैठ जाऊंगा। मेरातो यही प्वायंट है क इसमें लोकसभा और राज्यसभा के एम0 पीज0 को भी भामिल किया जाए। मै आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल सरकार ने पे ा किया है यह अच्छा है लेकिन इसके पीछे मं ाा अच्छी नही है। इसलिए इस बिल को आपको सिलैक्ट कमेटी में भेजना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, अब आप बैठिए। राव इन्द्रजीत हि जी बोलिए।

राव इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना): उपाध्यक्ष होदय, मै 2–3 प्वायंट पर बोलूंगा और मै 2–4 मिनट ही लूंगा। एक तो मेरे से पहले बोलने वाले व्यक्तियें ने जिन क्लाजिज पर चर्चा की है। उनमें से कुछ क्लाजिज पर मैं सहमत भी हूं। लेकिन चर्चा के अन्दर एक विशय बन गया जैसे कि रावत साहब ने बोलते हुए

कहा कि चौधरी बंसी लाल जी ने यकह कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कम्पीटैंट अथौरिटी गवर्नर होना चाहिए और मंत्रियों के लिए चीफ मिनिस्टर नही होना चाहिए। चौधरी बेसी लाल जी ने यह तो नही कहा है लेकिन उन्होने जेा कहा है उनके कहने का तात्पर्य जहां तक मै समझ पा रहा हूं। वह यह था कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, दोनों के तो आपस में तालमेल हो सकते है लेकिन गवर्नर औ दूसरे कर्मचारियेां के चाहे म्यूनिसिप्ल कौंसलर हो, चाहे एम0 एल0 ए0 हो, चाहे मंत्री हो ओर पब्लिक सर्वेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटर हो, के साथ तो गवर्नर का तालमेल नही हा सकता है। वहां तक तो इन्होने ठीक कहा है इतनी खामी तो हम बर्दा ात करकसते है कि चीफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर साहब के ताल्लुक हो लेकिन जब गवर्नर सहाब का ताल्लुक दूसरों के साथ नही हो तो उसके अन्दर मै समझता हूं कि गवर्नर सहाब न्याय करेगे। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, सैक ान 8 का मै जिक्र करना चाहूंगा जिसके बारे मेंयहां पर पहले भी जिक्र किया गया है। सैक ान 8(1) में लिखा है—

"Subject tot he provision of this Act, Lokayukta may on receipt of a reference from Government proceed to inquire into the allegations or the grievances made against a public servant."

चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात कही कि सुओं मोटो, that is one consideration and that is before the House. मेरे कहने का मतलब इसके अलावा यह है कि apart from the Government, लीडर ऑफ दि अपोजी ान से, लीडर ऑफ

ने ानल पार्टीज से, लीडर्ज ऑफ हरियाणा यास्टेट पार्टीज से यानी इनको भी यह अख्तियार देना चाहिए कि इनके रैफरैन्स के ऊपर भी लोकायुक्त इंक्वायरी कर सकें। सर, एक बात तो मै यह कहना चाहता था। डिपटी स्पीकरसर, इस बिल के फर्दर सैक ान 9 में यह द ार्या गया है कि लोकायुक्त किसके बारे में इंक्वायरी नही कर सकेगे। इसमें लिख है। "The Lokayukta Shall....." सर, बाकी जगर पतर तो "may" भाब्द का प्रयोग किया गया है अगर मुख्यमंत्री कहते है या कोई और कहते है तो Government gives the reference "may". But in this plece it is enacted an drafted by the administrative services and it is said that Lokayukta shall not inquire. It is mandatory, Loakayukta will not inquire in those cases in respect of which an inquiryhas been ordereed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850. Now, this Public Servants Enquiries Act, 1850 is 152-years old Act, Under this Act, I would like theGovernment to specify as to how many public servants have been procecuted and dealt severely and how many services have been terminated and what action has been taken against them. This is sa redundant Act. अभी तक इसके ऊपर कोई काम नही हुआ और जिस व्यक्ति की इडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बचानी होगी उसके बारे में लोकायुक्त के पा रैफरैन्स देने से पहले यह कह देगो कि पब्लिक सर्विसेज (इंक्वायरीज) एक्ट, 1850 के तहत हमने इसके प्रति एक इंक्वायरी खोल दी है। सर,सरकारें तो आती हैऔर जातीहैं आज इनकी सरकार है कल कियी और की सरकार होगी लेकिन पब्लिक के जो नुमाइंदे हैउनका काम कौन करताहै जो इनके पीछे

ब्यूरोक्रेंसी बैठी है।, जो इनके पीछ ऐडमिनिस्ट्रे ान बैठा है, वही इनकाकाम करते है। यह बिल भी उनके माध्यम से ही ड्राफ्ट किया गया है। इस तरह से इनको जो संरक्षण या बचाव मिल रहा है उसके बारे में मुझे ऑब्जक ान हैं पोलटिि ायन हो या ब्यूरोक्रैप्टस सबको बराबर का दर्जा किलना चाहिए और अगर वह दोशी है तो चाहे पोलिटि ायंज हों या ब्यूरोक्रैटस हों सबाका बराबर का हिस्सेदार माना जाना चाहिए और बराबर का ही पनि ामैन्ट मिलनी चाहिए। सर, इस बिल का सैक ान 9 का जो पार्ट (a) है इसको डिलीट कर देना चाहिए यह मेरी मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त हैं जो सैक ान 9-(c) है regarding use of discreationof powers by an officer. मै इसको पढ़ देता हूं।

''(c) relating to "grievance of mal-administration". any administrative act involving the exercise of discreation except where he is satisfied that the elements involved in the expercise of discreation were absent to such an extent that discreation would not be regarded as having been properly exercise or was exercised for corruption."

This is a very ambiguous eCtion. Politicians, Chief Minister and Ministers, they give the directions. I want such a thing to the done. Who carries out the directions? Adminisistration caries out the directions. एडमिनिस्ट्रे ान जब भी कैरी आउट करता है तो हम उसको पहले से कह देते है कि डिस्क्री ानरी पावर है के अंदर वह अपना सारा हिसाब किताब लगाकर लिखकर भेजते है। तो उस हिसाब से आईन्दा से अगर

पोलिटिि ायन चाहेगा कि लोकायुक्त के पास जो रैफरैन्स जाएगा तो that portion where the discretions has been used by the officer, will not come under the ambit of the Lokayukta's purview. So, on that basis, it should be made clear that wheter it is the Government who refers it to the Lokayukta or whethere it is the Chief Minister, Leader of the Opposition or Leaders of Parties. These people if refer it to the Lokayukta, after due deliberations, they should be considered. It should not be used "They shall not" because of discretion of powers are being used. That position also shouls be maintained that the Lokayukta shall inquire into that allegation as well. इस तरह से इस बिल में ये तरमीम की जाए। यह बिल प्रैजेंट फार्म के अंदर पास नही होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिह बिसला (बल्लभगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक बहुत ही महत्पूर्ण बिल प्रस्तुत किय गया इस परआपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेजरी बैचिज की तरफ से और साथ ही साथ हमारे विपक्ष के सम्मानित साथियों की तरफ से अपने अपने विचार इसबिल पर प्रस्तुत किये जा रहे है। यह बहुत बड़ा तथ्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो दे ा के नागरिकों ने जो आकांक्षाएं रखी थी और राश्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए संघर्श किया था उन आकाक्षाओं पर हम लोग खरे नही उतर पाए। इस बिल के ामध्यम से जो पब्लिक लाइफ है उसके द्वारा चुने हुए लोगों पर किस तरह चैंक एंड बैलैस रखा जाए। इसके

लिए कुल मिलाकर एक ऐसी ऐजेसी है जो इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि मेरे ऊपर भी कोई सोचने वाला है, मेरे ऊपर भी कोर्ठ चैक है मुझे भी कोई देखने वाला है, कोई अथॉरिटी हैं विपक्ष के साथियों ने कुछ ऐसी भांकाए जाहिर की है लेकिन यह प्रजातंत्र है। यह हाईहैस्ट फोरम है। हमारी स्टेट का और अगर कोई कमी पे ाी नजर आती है उसमें भी कोई अमैंडमैंट ऐडी ान की जा सकती है। यह कहना कि इसे कमेटी को भेजना चाहिए, इसे बादे में होना चाहिए क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि प्रजातंत्र में तीन विंग्स बड़ी महत्वपूर्ण है लेजिस्लेचर, ऐक्जीक्यूटिव और जूडीि ायरी। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः बिसला जी, बी ब्रीफ।

श्री राजेन्द्र सिह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय, मै सदन में कभी इरीलवैंट नही बोलता आप कहें तो मै बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्षः मै बैठने के लिए नही कह रहा हूं। मै तो ब्रीफ में अपनी बात रखने के लिए कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सबमी ान है कि रोजाना की डे टू डे लाइफ में हमदेखते है कि सरकार कई कदम उठाती है और लारजैस्ट इंट्रस्ट में निर्णय लिये जाते है। सरकारी म ीनरी मौके पर काम करती है, प्रभावित लोग, नाप्रभावित लोग जाकर के उसकाम में रोड़े अटकाते है। बड़े बड़े निर्माण कार्य आज इसलिए रूके हुए है कि

कोर्ट ने स्टे दे दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ज्डू ि ायरी, ऐक्जीक्यूटिव और लेजिस्ले ान में सामंजस्य होना चाहिए और कुल मिलाकर पब्लिक लाइफ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आज समस्या यह है कि हम सब राजनीतिक लोगों पर ब्यूरोक्रेसी पर औरसरकारी म ीनरी पर आंच आई हुईं इससे उसको कुल मिलाकर चैक किया जा सकता है। लोकायुक्त जब नियुक्त हो जाएंगे तो आम आदमी को करप्त ऐलीमंट को चैक करने काएक मौका मिलेगा। इस बिल को पास करने में नि ि चत रूप में कोई नुकसान नही है बल्कि सारे स्टेट का भला है। इन्ही भाब्दों के ाथ मै मुख्यमंत्री जी कोबधई देता हूं कि अति ीघ्र लोकायुक्त की नियुक्ति हो, पब्लिक लाइफ साफ सुथरी हो। इस बिल को पास कर दिया जाए इससे सारी स्टेट का भला होगा। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता यादव (साहलावास): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बल पर बालने ाक समय दिया इसके लिए मै आपको धन्यवाद करती हूं डैमोक्रेसी मे ंसभी को बोलने का राइट है ओर इस राइट के मुताबिक जिस तरीके से आज सदन में पटल पर जो लोकायुक्त का बिल पे ा किया गया है ओरजोसम्मानित विधेयक साथियों ने इसके बारे में जो सुजै ान दिये है उसकी सैक ान 2, 3, 5, 19, 15 और 22 से हम सैटीफाई नही है। इसलिए इस बिल को दोबारा से सलैक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए औरजो हमारे मौलिक अधिकर है उनका ध्यान रखते हुए

इस बिल को सलैक्ट कमेटी के पास पुनविचार के लिए भेजा जाना चाहिए।

डा० रघुबीर सिंह कादयान (बेरी): उपाध्यक्ष्ज्ञ महोदय, आज जो यह लोकायुक्त विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। जैसा कि पीछे भी यह बिल दो तीन बार वापस गय है। डिप्टी स्पीकरसर, जैसा कि बिसला साहब ने कहा कि आज जो दे ा में हालत है सिस्टम में जो भ्रश्टाचार है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म अपनी कोलप्सिंग स्टेज पर पहुंच गया है खासकर जो खद्दर पहनेत है उन पर जनताका वि वास उठाता जा रह है और भ्रश्टाचार की जड़ें है वे इतनी नीचे होती चली जा रही है। ऐसे समय में इस विधेयक को लाना बहुत महत्वपूर्ण है इस बिल के सैक ान6(1) जो कि पेज 11 पर है–

"The state Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules for carrying out the purpose of this act."

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इतना महत्वपूर्ण है Things come and go, Government come and go कल हम भी उधर हो सकते है औरये इधर हो सकते है लेकिन सरकार को भी पता है कि यह इतना महत्वपूर्ण है इसलिए इसकबारे में थोड़ा टाईम लें ओर इसको सलैक्ट कमेटी को दे दें। आज कमेटी बनजाये ओर 15 दिन के रूलज और एक्ट दोनों विधान सभा में पे ा किये जायं ओर उसके लिए सैं ान बुलाया जाये। क्येांकि यह बिल

इतना महत्वपूर्ण है। कि इस पर एग्जिस्टिंव डिक ान और एग्जिंस्टिंव सुजै ान और एक्सरसाइज होनी चाहिए क्योंकि इस बिल का गल्त इस्तेमाल हो सकता हैं मै आपके माध्यम स पूरे सदन से रिक्वैस्ट करूंगा कि जैसे इसें औथ को ऐड किया है अगर औथ ही वाइले ान हेा तो लोकायुक्त को भी बाई मजोरिटी ऑफ हाउस हटाया जा सकता है ओर इसमें पोलिटिक्ल वर्ड नही है क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री भापथ लेते है तो वे कहते कि संविधान की और परमात्मा की भापथ लेता हूं कि मै प्रदे ा के लोगों का बराबरी के आधार पर विकास करूंगा। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः कादयान साहब, औथ भाब्द को रिपीट न करें सभी को पता है।

डा० रघुबीर सिंह कादयानः उपाध्यक्ष महोदय, मै यकह कहना चहांूगाकि पोलिटीकल कर‍प ान के डिस्क्रीमिने ान को इस बिल की परव्यू में लाना चाहिए क्योकि 19–20 का फर्क तो हो सकता है लेकिन कंसीड्रेबल नेपोटिज्म, फेवररिटिज्म के आधार पर डिस्क्रीमिने ान दिखाई दे इसलिए इसमें पोलिटीकल वर्ड ऐड किया जाये। इसलिए अंत में मै यह कहूंगा कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। इन्ही भाब्दों के साथ मै अपना स्थान लेता हूं।

श्रीराम कि ान फौजी (बवानी खेड़ा अनूसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय

दिया इसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं। (विध्न) उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार इस बिल को सदन के पटल पर लाई है यह ठीक है कि विधायक भी इस बिल के परिधि में होना चाहिये। लेकिन इस बिल के अन्दर जो मुख्यमंत्री जी काकानून का अख्तियार दिया गया है वह अख्तियार एक ********** है।

श्री उपाध्यक्षः फौजी साहब ने जो भाब्द बोला है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री राम कि ान फौजीः उपाध्यक्ष महोद, पाकिस्तार के अन्दर ताना ााह भाासक है। एक ही आदमी मु ार्रफ के पास सारे कानून है। इस विधेयक के बन जाने से सारे कानून मुख्यमंत्र के हाथ में हा जाएंगे इसलि मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाए ओर इसको अगने सै ान में लाया जाए ओर हरियाणा को पाकिस्तार न बनाया जाए। यही मेरा सुझाव है। यह विधेयक पास हो गया ता हरियाणा पाकिस्तान बन जाएगा।

प्रो0 राम भगत (नारनौद)ः उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के पटल पर लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में जो बिल लाया गया है, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल कहै इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम है ंप्रजातंत्र के प्र ाासन के अन्दर ट्रांसपेरेसी की बहुत जरूरी होती है। उसे लिए इस बिल का बहुत महत्व है। इसके लिए मै सरकार को बधाई देता हूं लेकिन यह जो बिल है इसमें मेरी एक ओब्जर्वे ान यह है कि इस बिल की क्लाज

9 और क्लाज 10 जो प्रोवीजन्ज रिलेटिड टू कम्पलेंटस के बारे में है, तेा इसमें कौनलोग कम्पलेंट कर कसते है, क्लाज 10 की सब क्लाज 3 लिखा गया है कि जो पुलिस कस्टडी, जेल या एसाइलम में है, वे अपनी लैटर गवर्नर के पास भेज सकते है। और गवर्नर यदि जरूरी समझे तो उसकी कम्पलेंट मान सकता है। मेरा एप्रीहैं ान है कि जो प्रिजनर्स होते है, पुलिस कस्टडी में होते है। उनको कौन लैटर भेजने देता है क्या कंसर्ड अधिकारी जिसकी कंसटडी में वह होता है उनकी लैटर भेज देगा ओर ि ाकायतकर्ता के पास कौन या प्रूफ होगा कि उसने कंसर्ड अधिकारी को लेटर दिया हैं उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी ओब्जर्वे ान यह है कि मुख्यमंत्री यदि इस लोकायुक्त के पैरामीटर्ज में आता है यानि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एक ान हो सकताहै मेरा निवेदन यह है कि जो कम्पीटैंट अथोरिटी है उसकी थोड़ी सी परिभाशा बदल दी जाए। यही मेरी निवेदन है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिह): उपाध्यक्ष महोदय, जो लोकायुक्त जो लोकायुक्त बिल हम आज लेकर आए है, वास्तव में इस पर लम्बी बहस की जरूरत नही थी। क्योकि बहस इस पर पहले हो गई है आज सिर्फ एक प्र न था जिसके बारे में इसको लेकर आए है जिसमें अमैडमैंट की है। जहां तक सवाल इसको आरिजनेट होने का है तो 1977 में यह लोकायुक्त बिल बंसी लाल के समय में बिल के रूप में लाया यगा था जब इसतरह से असैमबली में डिस्क ानआनी थी, लोकायुक्त बिल जब आना था,

उस समय की बात को बंसी लाल जी याद नही रखते और आज बोलते समय कह रहे थे, हाउस की कंसैट के साथ के साथ कह रहे थे कि मेरे टाइम में यह बिल आरेडी पास हुआ हुआ था,एक्ट बन गया था इसको नए सिरे से लोने की जरूरत नही थी, रिपीट करने की जरूरत नही थी, इज इट एज मान लिया जाता ह। जहां तक हाउस की कंसैंट की बात है, भजनल लाल जी को याद नही रहता, ये याद रक लो जब चौधीर ओम प्रका ा चौटाला जी विपक्ष के नेता थे, इनके सभी सदस्रो ंको हाउस से निकाल दिया गा था ताकि इस पर बहस न हो सके, भजन लाल जी, आपको भी बंसी लाल जीसे ने निकाल दियाथा, वे दिन भी आपको देखने पड़े थे खैरउस समय के ऐसे हालता थे। विदआउट एनी डिस्क ान, विदआउट एनी आरगूमैंटस, सबको निका कर अकेली पार्टी ने किसी का सुझाव लिए बिना वह बिल पास कर दिया था और आज कह रहे है कि वह बिल हाउस की सहमति से पास हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय बिल हाउस की कन्सैंट से पास नही हुआ बल्कि एक पार्टी वि ोश लीटर की कंसैट से पास हुआ था जो उस समय मुख्यमत्री थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पार्टी विशे ा की कंसैट से बिल पास हआ था न कि पूरे हाउस की कंसैंट से। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हाउस की कंसैंट से तो यह बिल 16.11.1999 को पाास हुआ था। 16.11.21999 को इसी हाउस मे इस बिल के हर प्वायंट पर आरगूमैंट हुई थी औरसभी पाटियों के सदस्योंने उस आरगूमैंट में हिस्सा लिया था। मैने उस समय की प्रोसीडिंगज निकालकर देखी है चौधरी बंसी लाल जी तो

मुख्यमंत्री पद स हटने के बाद हाउस में आये ही नही, ये हिम्मत हामर गये थे। इइनकी तरफ से चौधरी मनीराम गोदार जी हाउस में उपस्थित थे ओर उनहोने इस बिल पर चर्चा मे पूरा भाग लिया था ओर वे काफी लम्बे समय तक इस बिल पर बोले थें उससमयकीप्रोसीडिंग्ज मेरे पास है। कांग्रेस की तरफ से चौधरी खु र्ीद अहमद जी जो कि सीनियर वकील रहे है ओर बहुत बड़े पालियामैंटेरियन रहे है लेकिन वे इस समय हाउस के सदस्य नही है ने भी इसबिल परचर्चा मेंपूराभाग लिया था। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो इस समय आल इण्डिया युवा कंग्रेस के अध्यक्ष है ने भी इस बिल पर चर्चा में हिस्सा लियाथा ओर अपने सुझाव दिए थे। स्पीकर सर, सभी सदस्यों के सुझाव लेकर, उन पर अम करके हमने एक बिल तैयार किया था औश्रवह बिल तेयार करने के बाद गवर्नर साहब को भेजा गया था और गवर्नर साहब को भेजने के बाद राश्ट्रपति से अनुमति लेने के लिए भेजा गया लेकिन उस पर होम मिनिस्टरी ने contempt of court एतराज लगा दिया कि बिल का जो पैरा 16 है उसके हिसाब से contempt of court की पावर लोकायुक्त को मिलेगी और होम मिनिस्टरी ने अपने एतराज में लिखा कि contempt of court की पाव लोकायुक्त को नही मिलनी चाहिए। बिल दोबारा से हमारे पास आया। हमारे पास आने के बाद हमने उदाहरण देकर कि contempt of court की पावर लोकायुक्त को हो सकती है, उसमें राजेन्द्र मनू भाई पटेल V/s स्टेट ऑु गुजरात के केस का हवाला ताकि लोकायुक्त को पावरुल बनाया जा सके ओर यह भी सोचय कि यदि लोकायुक्त को

contempt of court की पावर नही होगी तो यह कमजोर हो जायेगा। उसके बाद दोबारा से केस राश्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया। लेकिनउस बात को होम मिनिस्टरी ने नही माना। इसलिए आज केवल उस 16 नम्बर क्लाज को हटान के लिए यह बिल लाया गया हैं बाकी का यह यह बिल एज ईट ईज है जेा उस समय पास किया गया था। अब इस बिल पर इतनी लम्बी चौडी बहस की जरूरत नही थी लेकिन फिरभी आप सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने–अपने विार रखे है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मै चौधरी बंसी लाल जी ने जो बिल अपने समय में पास किय था वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमे इन्होने लोकायुक्त की नियुक्ति पर जिक्र किया कि लोकायुक्त की नियुक्ति का जो तरीका" उस तरीके में persuasion की बात कही गई है ओर मुख्यमंत्री परबाईडिंग की बात नही कही गई। वह बात तो चौधरी बंसी लाल जी ने पढ़कर सुना दी मै उसको दोबारा रिपीट नही करूंगा। चौधरी बंसी लाल जी के वक्त में जो एक्ट थाउस बारे में मै हाउस को बताना चाहता हूं क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में मालूम नही होगा। लोकायुक्त की नियुक्ति सैक ान–3 में थी जिसमें लिखा है कि–

"For the purpose of conduction investingationin accorance with the provision of this act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as Lokpal;

Provided that the Lokpal shall be appointed in the advice of the Chief Minister who shall consult the speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of the Opposition and the Chief Justice of the concerned High Court in case of appointment of a person who is or has been a judge of a High Court.''

इसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, कही यह नही लिखा हुआ कि उनको कन्सल्ट किया जायेगा, उनकी राय ली जायेगी फिर कन्सलटें ान क्या रहेगी? उपाध्यक्ष महोदय, कन्सलटें ान और एडवाइज चीज क्या है, इसमें क्या फर्क है,उनकी कन्सलटेंसी ली जायेगी। यह कही नही लिखा हुआ कि उनकी कन्सलटैंसी बाईडिंग होगी चीफ मिनिस्टर के ऊपर It is no where mentioned in that Act also. और आज ये इस बोर में बात कर रहे है जककि कही नही लिखा हुआ।

श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सप्रीम कोर्ट की रूलिंग है।

प्रो0 सम्पत सिहः उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बारे में सप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती तो यह एक्ट पास ही नही होता।

चौ० बंसी लालः स्पीकर साहब, हमने जो बिल पास किया था उसमें यह नही था कि–

"Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

Who have not mentioned that.

प्रो0 सम्पत सिहः इसमें बाइन्डिंग कहा लिखा हुआ है। whether you have mentioned that it will be binding on the Chief Minster.

चौधरी बंसी लालः इसका मतलब है कि उनकी सलाह से जो कहा है हम नही जायेंगे।

Prof. Sampat Singh: That does not mean.

श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डाः डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब आप बैठिये। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिहः डिप्टी स्पीकर साहब, खुद लीडर ऑफ अपोजी ान ने.....(विध्न)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने जिस ढंग से बिल पास करवाया उसकी तो चर्चा आ चुकी। लोकायुक्त मुकर्रर करने पर विपक्ष के नेता के नाते मेरे पास एक चिट्ठी भेजी गई थी, इसको लोकायुक्त मुकर्रर कर दिया गया है ओर जो हमने विरोध जताया उसकी कोई चर्चा नही। यह चिट्ठभ आई कि इसको लोकायुक्त मुकर्रर कर दिया है ओर उस लोकायुक्त की पावर्ज भी और लोकायुक्त से ज्यादा बढ़ा दी। आपका बस चलता तो उसे अजीवन भी रखते। (विध्न)

चौधरी बंसी लालः डिप्टी स्पीकर साहब, मै क्लैरीफाई करना चाहूंगा कि हमने जोएक्ट पास किया था उसमे ंक्लियर कट थाकि हाईकोर्ट का जज बनाएंगे तो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से पूछेगे, उसकी कन्सल्ट से लेगें अगर सुप्रीम कोर्ट का बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेगे। उसके आगे सारी पावर्ज लोकायुक्त की, सुओमोटी थी। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः यह जो कन्सलटे ान ऑफ स्पीकर, अपोजी ान लीडर यह नही थी क्या आपके उस में। (विध्न)

चौधरी बंसी लालः हां था। लीडर ऑफ अपोजी ान भी था और उमसे ंयह उनसे पूछा गया था.....स्पीकर भी था। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब बैठिये।

प्रो0 सम्पत सिंहः यह मानी तो नही न आपने। फिर वह कन्सलटेंसी का मतलब क्ण्या हुआ तो यह तो मीनिगलैंस हो गया जब माना ही नही गया। (विध्न)

चौधरी बंसी लालः बहुमत की मान ली। (विध्न) चीफ जस्टिस की मान ली, लीडर ऑफ अपोजी ान की मान ली और स्पीकर साहब की मान ली। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब आप बैठिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः इसमें बहुमत नही लिखा हुआ था। दैट डिप्टी स्पीकर, इनके एक्ट एक्ट में कही बहुमत नही लिखा हआ था। That was implied with merely.

श्री ओम प्रका ा चौटालाः यह तो इस बात पर चर्चा है कि उस व्यक्ति का एतराज है जिसका किरदार इस किस्म का रहा हो जिसका डैमोक्रेसी में यकीन न रहा हो।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा मतलब यह था कि जब या तो वो भाब्द जोड़ देते कि वो कन्सलटेसी दैट बिल भी बाइंडिंग, इम्पलाइड मिनिग है, अगर बाइडिग का भाब्द नही लिखा हुआ था, कि इसका इम्पलाइड का मतलब यह था कि कन्सलटेंसी चाहे वो उनकी मर्जी है, कोई दो राय वे दे उसको माने या न मानें। इम्पलाइड मीनिंग तो यह है अदरवाईज यह भाब्द जोड़ देते कि बांइडिग होगा। इनहोने बाइंडिग का भाब्र नही जोड़ाथा। इसका मतलब हुआ इम्पलाइड मीनिंग निकलता यही थाकि कन्सलटेंसी मीनिगलैसं मीनिगलैस होगी और वह इन्होने करके दिखा भी दी थी। दूसरी बात इन्होने एतराज किया टाईम लिमिटका। इसमें टाईम लिमिट का जनाब ने तो इसमें 10 साल की टाईम लीमिट रखी थी। सारे आने पिछले राज के टाईम को अपने उसवक्त अपने कुलिग्ज को बचाने के लिए रखा था ओर आज जो लोकायुक्त हैं इसका मतलब है कि 1 नवम्बर 1966 को हरियाणा बना था और 1 नवम्बर सन 1966 के बार अगर किसी को कोई ग्रिवेंसजि है, नही सुनी गई है कही भी, उसने ग्रिवेंसिज

के लिए अपनी एप्लीके ान दी, कम्पलेन्टस दी, कम्पलेन्टस दी, दुनिया भर के चक्र काटे फिर आज हगर वह आदमी चाहे तो किसी भी पब्लिक सर्वेट किसी के खिलाफ भी लोकायुक्त को उसकी एप्लीके ान जा सकती है, उसको जिसको मौका नही मिला है आज उसको मौका सरकार दे रही है इसलिए टाईम लिमिट नही रखी गर्ठ वरना टाईम् लिमिट का मतलब यह हो गया कि अपना टाईम बचा लो और बाकी लोगों को टाईम जोड़ लो। आपने तो इस तरीके से 10 साल का पीरियड रखाथा। हमने तो 1 नवम्बर 1966 को रख दिया एक किस्म का न लीमिट का मतलब यही है कि हरियाणा जब से बना है तब से रखा गया है और फिर डिप्टी स्पीकर साहब, जिकर आया कि इसमें बड़ा भय का वातावरण हो जाएगा, सत्ता का केन्द्रीयकरण हो गया, फलाना हो गया, धीगड़ा हो गया काफी चीजों का इसमें इन्होने जिक्र किया गया। (विध्न)

चौधरी बंसी लालः लोकायुक्त की एज लीमिट क्या रखी गई है वह भी बता दें।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, आप बैठिये। यह बात रहे है। वह एक एक प्वायंट पर आ रहे है। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः जितना ध्यान होगा, उतना ही कहूंगा बाकी आप वन बाई वन पूछ लेना। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, आप बैठिये। आप बीच में इन्टरवीन न करें।

प्रो0 सम्पत सिंहः मै यह कह रहा था कि यहां पर कई बातों का जिक्र आया, तीन–चार मैम्बर्ज ने भी जिक्र किया है। चौधरी बंसी लाल जी बोले थे, हुड्डा साहब भी बोलने तथा दलाल साहब ने भी जिक्र किया था। किसी ने सत्ता का केन्द्रीयकरण कह दिया किसी ने भय का वातावरण बता दिया, किसी ने कह दिया कि कर्मचारियों पर तलवार लटकती रहेगी, ताना ाह भाब्द और न जाने कितने भाब्दों का प्रयोग किया गया है। (विध्न) मैने ऑलरैडी यह नोट किया हुआ है इसलिए मै उन चीजों को दोहरना नही चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, किसी के खिलाफ कोई ग्रिवैन्सिज आएगा तभी चीजों को दोहरान नही चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, किसी के खिलाफ कोई ग्रिवैन्सिज आएगा तभी कोई कार्यवाही होकी। मान लों मानीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ही कोई कम्पलेंट आ रही है। और महामहिम गवर्नर महोदय को वह कम्पलेट चली गई गवर्नर साहब उसको एग्जामिन करेगे और यदि उस कम्पलेट में कोई तथ्य है तो महामहिम गवर्नर महोदय उसको लोकायुक्त को रैफर कर सकते है। उपाध्यक्ष्प महोदय, उसके बाद चाहे कोई मिनिस्टर है, पब्लिक सर्वेन्ट है और अदर सर्वेन्ट्स है, उनके खिलाफ कोई कमपलेंअ आ गई तेा मुख्य मंत्री महोदय, उस कम्पलेंट को लोकायुक्त को रफैर कर सते है। लोकायुक्त का कम्पलैंट रैफर होने के बाद किस बात का हैं

लोकायुक्त इन्वैस्टिंगेटिग अथोरिटी है तथ न्याय देने वाली अथोरिटी हैं अगर आदमी साफ सुथरा है ओर कम्पलैंट में कोई बल नही है और उस आदमी में कोई कमी नही है तो उसे किस बात का भय है। उसके खिलाफ वाईड ऐलिगे ान लगा कर कोई कम्पलेंट यदि मुख्यमंत्री जी के पास आ गई ओर उनहोने उस कम्पलेंट को लोकायुक्त को रफैर कर दिया तो इसमें कोई गलत बात नही है क्योंकि कि मुख्यमत्री जी कोई फैसला नही कर रह`हैं वे काई इन्वैस्टिगे ान नही कर रहे है, कोई फेसला नही सुना रहे हैं इसके लिए दे ा का कानून बना हुआ है इन्वैस्टगे ान का काम गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का है इसीलिए तो आज हम कन्टैप्ट आङॅफ कोर्ट गवाली ाावन को ले कर वापिस कर रहे है। क्येोंकि उन्होने कहा है कि इन्वैस्टिग्रटिन्न अथोरिटी को आप सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या अदर कोर्ट के बराबर नही मान सकते है, यह एडवाईस माननीय महामहिम राश्ट्रपति महोदय की तरफ से आई हुई हैं उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मै यकह कह रहा था क अगर किसी की कम्पलेंट फाल्स है तो उसको वहां पर न्याया मिलेगा और अगर उस कम्पलैंट में सच्चाई है तो उस आदमी को दण्डित भी किया जाएगा। इसमें भयक का वातावराण कहा से आ गया। इससे तो एक स्वच्छ वातावरण बनेगा। एक आदमी जिसको कोई ि ाकायत है वह बेचारा कही जा नही सकता । उसको एक मौका मिला है कि वह वहां जा कर अपनी ि ाकायत है वह बेचारा कही जा नही सकता उसको एक मौकाहै कि वहा वहां जा कर अपनी ि ाकायत है वब बेचारा कही जा नही सकता उसको एक

मौका मिला है कि वह वहां जाकर अपनी ि ाकायत कर सकता है और उसको न्याया मिलेगा और अगर ि ाकायत झूठी होगी तो कुछ नही होगा। अब चौधरी साहब ने कह दिया कि सुओ–मोटी भी कर दे और यह भी कह दिया कि वह एप्लीके ान डायरैक्ट भी चली जाए तो क्या हर्ज हैं उपाध्यक्ष महोदय, क्या उसको थोड़ा बहुत एग्जामिन नही करेगे। अगर कोई एनोनिमस कम्पलैंट होगी तो उसको कुछएग्जामिन तो करना ही पड़ेगा (विध्न) सुओ–मोटो की जो बात करते है सुओ–मोटो कोग्नी जैसं लेने वाली पावन अगर कोई है तो वह बुला लेगीं अखबर में पढ़ कर भी कोर्ट में बुला लिया जाए कोर्ट के पास ऑलरेडी ऐसी पावर्ज है। हाईकोर्ट के पास भी है और अंदर कोर्टस के पास भी है। अगर कोई मिनिस्टर है, एम0 एल0 ए0 है या कोई और अधिकारी है, अगर वह कोई गलती करता है या कोई गलत काम करता है है ईवर अखबार के अन्दर दो लाईन्स की न्यूज आ जाती है तोउसके अन्दर बुला सकतें है। दे ा के अन्दर न्याया–व्यवस्था और न्यायालय है और इसी प्रकार से कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी भी है। राव साहब ने पब्लिकी सर्वेन्ट इन्क्वायरी ऐक्ट के अण्डर ऑलरेडी किसी की इन्क्वायरी हो रही है तो उसकी यहां पर लाई नही कर सकती। इन्क्वायरी एक्ट के तहत बडे–बड़े लोगों को अपने पद भी छोडने पड़े है। यहां तक कि मुख्यमंत्री लैवल के लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी एक्ट के अण्डर इन्क्वायरी हुई है तथा प्रताप सिंह कैरों जैसे आदमी को भी मुख्यमंत्री पद नैतिकता के आधार पर छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनके अगेन्टस रिपोर्ट आ गई थी। वह एक्ट भी

है और उसमें अलग से पावन है। इस ऐक्ट के अण्डर अगर कोई कम्पलेंट की हुई है तो उसके अन्दर यह कम्पलेंट नही आ सकती। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से चौधरी साहब ने ऐज लिमिट की बात कही। जहां एक ऐज लिमिट का सवाल है तो 90 साल का आदमी भी स्वस्थ्य हो सकता है जैसे कि चौधरी खुद 80 साल के नजदीक है और ये काफी हैल्दी भी है। सत्तर साल का आदमी भी बीमार हो सकता है। अगर इन्टैलीजैन्ट आदमी होगा, अच्छी इन्टैग्रिटी होगी, ऑनैस्ट होगा, उसका अच्छा एक्सपीरियैंस होगा वही आदमी इस पद के लिए बढ़िया रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्होने सिलैक्ट कमेटी का जिक्र कर दिया। सिलैक्ट कमेटी काजहां तक ताल्लुक है, चौधरी साहब ने तो कुछ भी नही किया था। न असैम्बली को कन्सल्ट किया था न कोई डिस्क ान करवाई थी और बिल पास कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहब हमाने तो रिटायर्ड जस्टिस मिनस्टर जी0एस0 चहल, की अध्यक्षता में एक्सपर्टस की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने दो महीने में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिटायर्ड जस्टिस ने सारी बातों को देख कर बाकायदा छानबीन करके रिपोर्ट दी है इसलिए सिलैक्ट कमेटी की अब कोई जरूरत नही है क्येांकि उन्होने ऑलरैडी दी महीने तक इसको पहलू से देखा है और उन्होने जो पूरी रिपोर्ट दी थी उसको हमने माना है,चौधरी बंसी लाल जी की तरह से नही कि एक दिन में बिल लाए और 5 मिनट में ही इसको पास कर दिया।

श्री कर्ण सिह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी सम्पत सिह जी जो जवाब दे रहेहै इसमें इन्हे एक बात औ बतानी चाहिए कि जैसे इसमें स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी बॉडिज का भी जिक्र है। जैसे HPSC है जिस तरीके से इन्होने वाईस चांसल्र का जिक्र किया हुआ है। यह आटोनोमस बाडिज है.....

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिए। आप प्रैस की तरफ न देखिए। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिहः सब बढ़िया लग रहे है। सब मैरिट पर लग रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एजैंसी की बात है तो जन प्रतिनिधियों को संवैधानिक पावर है क्या उन एजैंसियों को उनसे ऊपर रख दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कोइ अच्छे सुझाव आते तो उनको मान भी लेते है। इसमे कोई लम्बी चौडी बात नही थी, एक लाईन की बात थी, क्लाज 16 को डिलीट की बात थी और इस बारे में इनकी राय आती है कि उसका डिलिट करें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि आप इस बात को आम सहमति से पास करें। (ाोर एवं व्यवधान) (इस समय सभी पाटियों के मैम्बर्ज बोलने के लिए खड़े हो गए।)

वाक आउट

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राय नही मानी जा रही है और इस बिल को सिलैक्टर कमेटी को नही भेजा जा रहा है। इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट वाक–आउट करते हैं

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित दोनो सदन से वाक आउट कर गए।)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, इनको जाना है। यहां पर ये बोल लिए है और अब यहां से जा रहे है। (ाोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री कर्ण सिह दलाल अपनी सीट को छोड़कर आगे आ गए और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी सीओं पर खड़े हेागर बोलने लग गए।)

श्री उपाध्यक्षः बैठिए, बैठिए, आप सब बैठिए। कर्ण सिंह जी आप अपनीसीट पर जाए। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया है। इसलिए अब आप अपनी सीट लें। (ाोर एवं व्यवधान) कादयान जी आप अपनी सीट पर जाए। (ाोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सब बैठिए। (ाोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): मुझे इस बात की खु ाी है कि हमने आपको यह तो सिखा दिया कि वाक आउट कब किया जाएगा। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः ये जो भी बोल रहे है। इनकी कोई भी बात कार्यवाही में भाामिल नही की जाएं। (ाोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कर्ण सिह जी, आप अपनी सीट पर बैठे। आप प्रैस की तरफ न देखे। आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाए। (ाोर एवं व्यवधान) Please take your seat. जय प्रका ा जी बैठिए (ाोर एवं व्यवधान) आप सब बैठिए, बैठिए। इनका कुछ भी कार्यवाही में रिकार्ड नही किया जाए। (ाोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नै ानल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य आर0 पी0 आई0 के श्री कर्ण सिह दलाल और एन0सी0पी0के श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक आउट कर गए।)

दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 2000 (पुनरारम्भ)

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Haryana Lokayukta, Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider tbe Bill Clause by clause.

Sub Clause (2) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Sub Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (3) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Sub Clause (3) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 26

श्री उपाध्यक्षः पालियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर साहब, अगर हाउस की सहमति हो तो 2 से 26 तक क्लासिज एक साथ ही कर ली जाए।

प्रो0 सम्पत सिहः ठीक है जी।

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clauses 2 to 26 stand part of the Bill

The motion was carried

Schedule

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampt Singh) Sir, I beg to move&

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Questonis—

That the Bill be passed

The motion was carried.

दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी भाराइन (अमैंडमैंट) बिन, 2002

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of state for Urban Development will introduce the Haryana Sh. Mata Mansa Devi Shine (Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (सं ाोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करता हूं।

मै यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Haryana Shri Mata Mansa Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Haryana Shri Mata Mansa Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास मंत्री (श्री सुभाश गोयल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Questonis—

That the Bill be passed

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House stands adjourned sine die.

12.10 hrs.

(The Sabha then adjourned sine die.)

ANNEXURE

Amount spent on gifts given by HARCO Bank

1185 Sh. Nafe Singh Rathi, M.L.A.: Will the Minister for cooperation be pleased to state—

(a) Whether any gifts have been presented to the politician sna officers by HARCO BANK during the period from 1st July, 1991 to 20th May, 1996, if so, the amount thereof?

(b) Whether the aforesaid gifts were given in accordance with rules of the Bank; and

(c) If not, whether any action has been taken against the officers who were responsible for presenting the said gits and recipients thereof?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना):

(क) हां, श्रीमान जी, 1 जुलाई, 1991 से 20 मई, 1996 तक हरको बैक द्वारा रूपये 16,16,212,.59 (सोलह लाख, सोलह हजार दो सौ बारह रूपयेउनसट पैसे की रा ि । के उपहार दिये गये थे।)

(ख, ग) ये उपहार बैक का करोबार बढ़ाने के लिए दिये गये थे।